

Ethical Dimensions in day to day working

 **Neeraj Agrawal, SDGM/ECR**

Railway officers are sometimes confronted with ethical dilemmas in their work. Ethical behavior is important to credible work output. So what kinds of business-as-usual work-related activities have ethical implications? Subsequent paras outline the various dimensions of ethical management.

A. DEFINITION

As per one definition ethics is *“The branch of philosophy that defines what is good for the individual and for society and establishes the nature of obligations or duties that people owe themselves and one another. In modern society, ethics define how individuals, professionals, and corporations choose to interact with one another.”*

Broadly following day to day activities govern and indicate our ethical behavior.

- Handling relationships with potential contractors and stakeholders
- Taking responsibility, not placing blame
- Treating employees fairly without regard to race, sex, or religious affiliation
- Treating contractors/consultants fairly without regard to race, sex or religious affiliation
- Appraising performance not appearance or behaviour or friendships
- Respecting proprietary information
- Hiring and firing (or staffing and un-staffing)

B. ETHICAL DILEMMAS

Most of the ethical dilemmas faced by managers in the workplace are highly complex. Often, the project manager is faced with an issue that is not easily resolved by theory or the knowledge acquired from formal training. These types of problems are usually not of a technical nature but more often tend to be ethical or human resource issues.

- Value conflicts among differing interests
- Real alternatives that are equally justifiable
- Significant consequences on "stakeholders" in the situation

C. MYTHS ABOUT ETHICS

Ethics in the workplace is about prioritizing moral values for the workplace and ensuring that behaviors are aligned with those values -- its values management. Some of these myths arise from general confusion about the notion of ethics. Other myths arise from narrow or simplistic views of ethical dilemmas:-

- Ethics is more a matter of religion than management.
- Our employees are ethical so we don't need attention to business ethics.
- Ethics is a discipline best led by philosophers, academics and theologians.
- Ethics is superfluous - it only asserts the obvious: "do good"
- Ethics is a matter of the good guys preaching to the bad guys.
- Ethics is the new police person on the block.
- Ethics can't be managed.
- Business ethics and social responsibility are the same thing.
- Our organization is not in trouble with the law, so we're ethical.
- Managing ethics in the workplace has little practical relevance.

D. BENEFITS OF ETHICS MANAGEMENT AT WORKPLACE

The following list describes various benefits from managing ethics in the workplace:-

- Attention to business ethics has substantially improved society.
- Ethics programs help to maintain a moral course in turbulent times.
- Ethics programs cultivate strong teamwork and productivity.
- Ethics programs support employee growth and meaning
- Ethics programs are an insurance policy - they help to ensure that policies are legal.
- Ethics programs help to avoid criminal acts “of omission” and can lower fines.
- Ethics programs help to manage values associated with quality management, strategic planning and diversity management - this benefit needs far more attention.
- Ethics programs promote a strong public image.
- Overall benefits of ethics programs.
- Formal attention to ethics in the workplace is the right thing to do.

E. CHARACTERISTICS OF ETHICAL ORGANISATIONS

Following are the characteristics of a high integrity organization:-

- There exists a clear vision and picture of integrity throughout the organization.

- The vision is owned and embodied by top management, over time.
- The reward system is aligned with the vision of integrity.
- Policies and practices of the organization are aligned with the vision; no mixed messages.
- It is understood that every significant management decision has ethical value dimensions.
- Everyone is expected to work through conflicting-stakeholder value perspectives.
- Responsibility is individual rather than collective, with individuals assuming personal responsibility for actions of the organization.
- They see their activities in terms of purpose. This purpose is a way of operating that members of the organization highly value. And purpose ties the organization to its environment.
- They are at ease interacting with diverse internal and external stakeholder groups.
- They are obsessed with fairness.

F. GUIDELINES FOR ETHICAL MANAGEMENT

Organizations can manage ethics in their workplaces by establishing an ethics management program. The following guidelines ensure the ethics management program is operated in a meaningful fashion:-

- Recognize that managing ethics is a process.
- The bottom line of an ethics program is accomplishing preferred behaviours in the workplace.
- The best way to handle ethical dilemmas is to avoid their occurrence in the first place.
- Make ethics decisions in groups and make decisions public as appropriate.

- Integrate ethics management with other management practices.
- Use cross-functional teams when developing and implementing the ethics management program.
- Value forgiveness.
- Note that trying to operate ethically and making a few mistakes is better than not trying at all.

G. PROCESS OF ETHICS MANAGEMENT

The following functions points out responsibilities that should be included somewhere in the organization:-

- The organization's chief executive must fully support the program.
- Consider establishing an ethics committee at the Various level.
- Consider establishing an ethics management committee.
- Consider assigning/developing an ethics officer.
- Consider establishing an ombudsperson.

The following process is suggested for developing guidelines for ethics management:-

- Review any values need to adhere to relevant laws and regulations.
- Review which values produce the top three or four traits of a highly ethical and successful product or service in your area.
- Identify values needed to address current issues in your workplace.
- Identify any values needed, based on findings during strategic planning.
- Consider any top ethical values that might be prized by stakeholders.

- Collect from the above steps, the top five to ten ethical values which are high priorities in your organization e.g.
 - a) Trustworthiness: honesty, integrity, promise keeping, loyalty .
 - b) Respect: autonomy, privacy, dignity, courtesy, tolerance, acceptance.
 - c) Responsibility: accountability, pursuit of excellence.
 - d) Caring: compassion, consideration, giving, sharing, kindness, loving.
 - e) Justice and fairness: procedural fairness, impartiality, consistency, equity, equality, due process .
 - f) Civic virtue and citizenship: law abiding, community service, protection of environment.
- Attempt to associate with each value, two example behaviours which reflect each value.
- Include wording that indicates all employees are expected to conform to the values stated in the code of ethics.
- Obtain review from key members of the organization.
- Update policies and procedures to produce behaviours preferred from the code of conduct.

**"Corruption is the enemy of development,
and of good governance. It must be got rid of.
Both the Government and the people at large must
come together to achieve this National objective. "**

— Pratibha Patil —

भ्रष्टाचार से निपटने में नागरिकों की भूमिका

✍ रवींद्र वर्मा,
आइजी सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब

भ्रष्टाचार क्या है?

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के अनुसार—यह “सरकारी कार्य के निपटारे के संबंध में वैधानिक पारिश्रमिक के अलावा अन्य परितोषण लेना” एवं निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय का उपयोग है। जो सही है उसे यह नहीं करने दे रहा बल्कि जो गलत है उसे ही करने को प्रेरित कर रहा है। निम्नस्तरीय कार्य लोकाचार एवं कर्मचारियों में आंतरिक अनुशासन की कमी भी रिश्वत लेने के समान है।

भारत में भ्रष्टाचार के आयाम

बोफोर्स घोटाला	— 64 करोड़ रुपये
चिट फंड घोटाला	— 4000 करोड़ रुपये
सी0 डब्लू0 जी0 घोटाला	— 8000 करोड़ रुपये
सत्यम घोटाला	— 24000 करोड़ रुपये
2जी स्पेक्ट्रम घोटाला	— 176000 करोड़ रुपये (सीएजी)
वार्षिक शहरी रिश्वत	— 6.3 लाख करोड़ रुपये

भारत में भ्रष्टाचार के आयाम-2 जी घोटाला

यह भारत के कुल स्वास्थ्य बजट का आठ गुणा, शिक्षा बजट का तीन गुणा, सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत, रक्षा बजट के बराबर और हमारे वार्षिक कर राजस्व का एक तिहाई है।

Citizens' Role in Combating Corruption

✍ **Ravindra Verma,**
IG-cum-PCSC/RPF

What is Corruption ?

As per Prevention of Corruption Act 1988 - **“taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act”**, Use of Public Office for Private Gains. It is not doing what is Right rather than doing what is wrong. Poor work ethos or lack of Internal discipline of employees is as much corruption as taking bribes for organizations and their competitiveness.

DIMENSIONS OF CORRUPTION IN INDIA

- **BOFORS SCAM- 64 CRORES**
- **CHIT FUND SCAM -4000 CRORES**
- **CWG SCAM -8000 CRORES**
- **SATYAM SCAM -24000 CRORES**
- **2G SPECTRUM SCAM -176000 CRORES(CAG)**
- **ANNUAL URBAN BRIBE -6.3 LAC CRORES**

Dimensions of Corruption in India-2G Scam

This is **eight times India's total health budget** and **three times the education budget, equivalent to 3% of our GDP**, equal to our defence budget and a third of our annual tax revenues.

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक - भारत

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 178 देशों की सूची में भारत (सीपीआई-3.3 के साथ, जो 1 से 10 तक के पैमाने पर आधारित है) 94 वें स्थान पर है। **भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसी देश की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को मापता है।** जमीनी हकीकत और भी ज्यादा निराशाजनक हो सकती है। भूटान (5.0) के बाद भारत सभी दक्षिण एशियाई देशों में शीर्ष पर है। यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है कि यदि भारत में भ्रष्टाचार का स्तर स्कैंडिनेवियाई देशों के स्तर तक कम हो जाए तो देश में निवेश प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत और जीडीपी 1.5 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। उपरोक्त वर्णन के अनुसार विश्व में दक्षिण और सुदूर पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ अपेक्षाकृत अधिक भ्रष्ट हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में रिश्वत के रूप में प्रतिवर्ष लगभग रु 25, 000 करोड़ रुपए का लेन-देन होता है और सरकारें माल और सेवाओं के एवज में 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत अधिक का भुगतान करती हैं। भ्रष्टाचार और गरीबी के बीच मजबूत संबंध होता है।

क्या भारत में कारोबार करने की दिशा में भ्रष्टाचार एक समस्या है?

हाल ही के विश्व आर्थिक सर्वेक्षण में, **भ्रष्टाचार को भारत में व्यवसाय करने में दूसरा सबसे समस्याग्रस्त कारक माना गया है।** 78% लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी कंपनियाँ भ्रष्टाचार के कारण बेहद असुरक्षित हैं।

भ्रष्टाचार के कारण

भ्रष्टाचार के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

- लाल फीता शाही और प्रशासनिक विलंब
- ढेर सारे अनावश्यक नियम
- व्यक्तिगत विवेकाधिकार की गुंजाइश
- बोझिल प्रक्रियाएँ
- माल एवं सेवाओं की किल्लत
- पारदर्शिता की कमी
- उपभोक्तावादी सनक

CORRUPTION PERCEPTION INDEX – INDIA

India ranks 94th (CPI-3.3 on a scale of 1 to 10) in the list of 178 countries as per the survey conducted by Transparency International. **CPI measures the perceived level of Government corruption in a given country.** Ground Reality may be even more frustrating. With the exception of Bhutan(5.0), India is at the top of all South Asian Countries. UNDP report says that if the corruption level in India is reduced to the level of Scandinavian countries, investment in the country would increase annually by 10% and GDP growth by 1.5%. In the sense of above definition, South and Far eastern Asian economies are relatively more corrupt in the world. It is estimated that about Rs.25,000 crores exchange hands annually in the form of bribe in India and Governments pay 20% to 100% more for their goods and services. Strong Co-relation exists between Corruption and Poverty.

IS CORRUPTION A PROBLEM FOR DOING BUSINESS IN INDIA?

In a recent World Economic Survey, respondents rated **Corruption as the second most problematic factor for doing business in India**, with 78% very clearly saying that their Companies are highly vulnerable to Corruption.

CAUSES OF CORRUPTION

The following are the main causes of corruption –

- Red Tape & Administrative Delay
- Unnecessary Regulations
- Scope of Personal Discretion
- Cumbersome Procedures
- Scarcity of Goods&Services
- Lack of Transparency
- Cult of Consumerism

भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियाँ

निम्नलिखित एजेंसियाँ भारत में भ्रष्टाचार रोधी कार्रवाई करने में सक्षम हैं:-

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)
- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
- लोकायुक्त
- राज्य सतर्कता ब्यूरो

एक नागरिक भ्रष्टाचार से कैसे लड़ सकता है

भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नागरिक निम्नलिखित रूप से लड़ सकता है:-

- व्यक्तिगत निष्ठा— स्वयं ईमानदार हों
- जागरूकता फैलाकर
- पारदर्शिता अपनाकर
- मानसिकता में बदलाव लाकर — स्कूल के पाठ्यक्रम में नैतिकता शामिल हो
- सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर
- आरटीआई

रिश्वत से लड़ने हेतु पाँच निर्देश

- नियमों को जाने
- शिकायतों को दर्ज करें
- स्वयं करने की आदत डालें—बिचौलियों एवं दलालों से बचें
- रिकॉर्ड करें, बातचीत टेप करें, तस्वीरें लें
- लिखित पावती देने को प्रेरित करें

आत्मनिरीक्षण

स्वयं से दो सवाल करें

- क्या आप भ्रष्ट हैं?
- क्या आप दूसरों को भ्रष्ट करते हैं?

ANTI-CORRUPTION AGENCIES

The following agencies exist in India to take anti-corruption action –

- CENTRAL VIGILANCE COMMISSION (CVC)
- CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION (CBI)
- LOKAYUKTA
- STATE VIGILANCE BUREAUS

How a Citizen can fight Corruption

A citizen can fight corruption by taking following action-

- Individual Integrity –Himself to be Honest
- Spreading Awareness
- Need for Transparency
- Changing mindset –Ethics to be part of School Curriculum
- Use of Information Technology
- RTI

5 COMMANDMENTS TO FIGHT BRIBERY

- KNOW THE RULES
- FILE COMPLAINTS
- DO IT YOURSELF-AVOID MIDDLEMEN, TOUTS
- RECORD IT-TAPE CONVERSATIONS, PHOTOS
- IN WRITING-INSIST ON ACKNOWLEDGEMENTS

INTROSPECTION

ASK YOURSELF TWO QUESTIONS

- ARE YOU CORRUPT?
- DO YOU CORRUPT OTHERS?

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग

✍ पी के सिन्हा, अमरेप्र/सोनपुर

भ्रष्टाचार, निजी लाभ के लिए प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करना है। इससे सामाजिक व्यवस्था की क्षति होती है। इससे राजनैतिक, आर्थिक एवं संस्थागत व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास समाप्त होने लगता है, जिसकी कीमत लोगों को अपनी स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, संपत्ति एवं कभी-कभी अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है।

पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय सर्वे, 2017 के अनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) 180 देशों को 0-100 के माप के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत अवधारणा के आधार पर श्रेणी प्रदान करता है। भारत को इसमें 40 अंक (प्राप्त अधिकतम अंक जितना ज्यादा होगा वह देश उतना ही भ्रष्टाचार मुक्त है) के साथ 81वाँ स्थान प्राप्त है। न्यूजीलैंड एवं डेनमार्क को भ्रष्टाचार मुक्त देशों की श्रेणी में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त है। जबकि सोमालिया और दक्षिण सुडान देश को सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश की श्रेणी में रखा गया है। भ्रष्टाचार, भारत जैसे देश के लिए एक ज्वलंत समस्या है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था एवं विकास बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के अनेक कारण हैं। यद्यपि, इनके कुछ कारण निम्नलिखित हैं :-

- धन एवं शक्ति का लोभ
- अत्यधिक नियम-विनियम
- जटिल एवं लाइसेंस प्रणाली
- पारदर्शी कानून एवं प्रक्रियाओं का अभाव
- अपारदर्शी नौकरशाही एवं विवेकाधीन शक्तियाँ
- अपराधियों के लिए कड़े एवं कठोर दण्ड का अभाव
- भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में संगठित विरोध का अभाव

Fighting against Corruption

 **P.K. Sinha, ADRM/SEE**

Corruption is abuse of entrusted power for private gain. It corrodes the fabric of society. It undermines peoples trust in political, economic and institutional systems. It can cost people their freedom, health, money and sometimes their lives also.

As per Transparency International Survey, 2017, Corruption Perception Index (CPI) which ranks 180 countries based upon Institutional Perceptions of Public Sector corruption on a scale of 0-100, India is ranked 81st with a score of 40 (the higher the score the cleaner is the country). New Zealand and Denmark topped the rankings as the cleanest countries, while Somalia and South Sudan were the worst performers. Corruption is a burning problem for India and is adversely affecting the economy & development of our country.

Causes of corruption in India are many. However some of them are listed below:-

- Greed of money and power
- Excessive regulations
- Complicated tax & licensing systems
- Lack of Transparent laws and processes
- Opaque bureaucracy & discretionary powers
- Lack of strict & fast punishments for offenders
- Lack of united opposition in fighting corruption

सरकार द्वारा इस बुराई को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम एवं लोक सेवा कानून अधिकार आदि के द्वारा इस दिशा में ऐसे उपाय किए गए हैं जिससे देश के नागरिकों को समय-सीमा के भीतर लोक सूचनाएँ प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है । भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए कुछ अधिनियम निम्न प्रकार हैं —

- आई.पी.सी., 1860
- आयकर अधिनियम
- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988
- बेनामी लेन-देन अधिनियम (निषेध)
- मनीलॉनड्रिंग निरोधक अधिनियम
- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम
- व्हिस्टल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम

जैसा कि उपरोक्त नियमों एवं विनियमों से हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए अनेक नियम एवं विनियम बनाए गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा किए गए भरसक प्रयासों के बावजूद भी भ्रष्टाचार जैसी बुराई नियंत्रित नहीं हो पा रही है । यह समाज में एक ब्लड कैंसर की तरह फैल चुका है जिससे समस्त समाज ग्रस्त है । हमारे लिए यही चिंतन का उपयुक्त समय है कि कैसे इस बुराई को नियंत्रित एवं समाप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय तथा कदम उठाए जाए । चलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत हम अपने संगठन से करें । तकनीकी क्षेत्र में नए-नए प्रयोग एवं उपयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है । ई-निविदा, ई-निलामी, निविदाओं की ऑनलाइन स्वीकृति, सार्वजनिक उपलब्धि में पारदर्शिता, नियुक्तियों में ऑनलाइन परीक्षा आदि इसके अनेक उदाहरण हैं । कर्मचारियों की नियुक्ति, तैनाती एवं स्थानान्तरण, बिल पास करने आदि में सॉफ्टवेयर का अधिक से अधिक उपयोग से शिकायतों एवं भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिल सकती है । दोषियों को जल्द से जल्द दंड देना भी इसे कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है । इस प्रकार, कुछ भी गलत करने की वास्तविक भय को कम किया जा सकता है ।

Government has taken number of measures to curb this menace. Right to information Act and Right to Public Services Legislation are steps towards that direction which facilitates the citizen of this country to get public information in a time bound manner. Some of the acts to fight against corruptions are:-

- IPC, 1860
- Income Tax Act
- Prevention of Corruption Act, 1988
- Benami Transactions Act, (Prohibition)
- Prevention of Money laundering Act,
- The Lokpal & Lokayuktas Act,
- Whistle Blowers Protection Act,

As can be seen from above that there are umpteen numbers of rules and regulations to combat corruption but even after a considerable effort from Govt., the menace of corruption is not being controlled. It has spread like blood cancer and the whole society is suffering from it. It is high time for us to think and take appropriate precautions and steps to control and to eradicate it. Let us start from our organization first. Technological innovations and its use can become an important tool in this direction. E-tendering, e-auction, on line acceptance of tenders, transparency in public procurement, on line examinations for appointments etc are example of this. More and more use of software for transfer & posting of staff, appointments, bill passing etc can help in minimizing complaints and corruption. Quick punishment for offenders is also one of the important steps. There is a feeling that it takes very long time in punishing an offender. Therefore, the actual fear of doing anything wrong gets reduced.

इसी प्रकार ईमानदारी को सुरक्षा एवं संरक्षण दिया जाना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक ईमानदार व्यक्ति को झूठे एवं गलत शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। उनके प्रयासों/भूमिकाओं की सराहना भी की जानी चाहिए ताकि अन्य भी इसका अनुसरण करें। कार्य शक्ति का समुचित प्रशिक्षण, परामर्श एवं संवेदना परक बनाया जाना भी अति आवश्यक है। संगठन में लोगों की नैतिक भावना को सदैव ऊँचा बनाए रखा जाना चाहिए। उनके उचित दावों, सुविधाओं आदि को उन्हें प्रदान किया जाए ताकि वे गलत कार्य करने से बचें एवं असंतुष्ट न रहें। समय पर पदोन्नति, वेतनवृद्धि, समापक भुगतान, छुट्टी की स्वीकृति आदि दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कार्य संस्कृति, कार्यालय का सेटअप, समुचित बैठने का प्रबंध, शौचालय, पीने का पानी की समुचित व्यवस्था तथा पर्याप्त विश्राम प्रदान कर कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति अधिक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। इससे वे अपने आप में गर्व अनुभव करेंगे तथा अपने संगठन के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे और कोई भी गलत कार्य करने से पहले कम से कम दो बार सोचेंगे। अपने कर्मचारियों के साथ नियमित साक्षात्कार, अपने से उपर के पास पहुँच, सामाजिक मेल-मिलाप और किसी भी अच्छे कार्य को करने का प्रोत्साहन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कर्मचारी हित में जटिल नियमों को सरल तथा शक्तियों को विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए लोगों को शिक्षित एवं जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें अपने आस-पास हो रहे गलत कार्य के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकारी प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास को बढ़ाया जाना चाहिए। जब तक इसे पूरा नहीं किया जाता है तब तक इस समस्या से निजात पाना कठिन होगा।

**“अपने आदर्श को पाने के लिए सैकड़ों बार
असफल होने पर भी आगे बढ़ो।”**

— स्वामी विवेकानंद —

Security and protection to honest is also equally important. An honest person must be safeguarded against false & motivated complaints. His role/efforts can even be highlighted and praised so that others can follow him. Proper training, counseling, sensitization of work force is also important. The morale of people in organization needs to be kept high all the time. Their legitimate claim, facility, privilege etc must be provided to them otherwise there is a tendency to get frustrated and involved in wrong doing. Timely promotions, increments, settlements, leave sanctioning etc to be ensured. Work culture, office set up, provision of proper sitting arrangements, toilets, drinking water, proper accommodation, and sufficient rest can prove to be motivator for the employee & their commitment and dedication towards duty will increase. They can feel pride and will be emotionally attached to their organization and will think twice before doing anything wrong. Regular interview with our employee, easy access to higher ups, social get together and encouragement for any good work can also play an important role. Complex rules to be simplified and powers be decentralized for staff welfare activities. People should also be educated and counseled to fight against corruption. They should be taught to make noise against anything going wrong around them. Peoples' faith in government processes has to be enhanced. Unless this is done, it is very difficult for us to overcome this problem.

**"If you want to shine like a
Sun, first burn like a Sun"**

— A.P.J. Abdul Kalam —

डिपो में आपूर्ति की गयी मदों के एवज में आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के भुगतान में देरी।

✍ सनी सिन्हा, उपमुख्यताधि/भंडार

डिपो में आपूर्ति की गयी मदों के एवज में आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के भुगतान में देरी की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी। इस प्रकार की देरी स्वस्थ खरीद प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि यह भ्रष्ट प्रथाओं को आकर्षित करता है। ऐसी स्थिति में आगामी खरीद के दौरान फर्मों से उच्च दर का प्रस्ताव मिलने की आशंका रहती है जिससे आर्थिक खतरे की संभावना बनती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जाँच सतर्कता कार्यालय द्वारा की गई जिसमें यह प्रकट हुआ कि ज्यादातर मामलों में देरी का कारण मुख्यतः भंडार डिपो द्वारा प्राप्ति-नोट जारी करने और इसके उपरांत इन्हें डीएसए कार्यालय के मार्फत प्रधान कार्यालय के लेखा विभाग को जमा करने में किया गया विलंब है। यह पाया गया कि उपरोक्त प्रक्रिया में लगभग 45 से 80 दिन लगते हैं जो उचित नहीं है।

यद्यपि प्राप्ति-नोट तो मुख्यतः डिजिटल रूप में तैयार होते पाए गए लेकिन इन्हें मैनुअल रूप से हस्ताक्षर कर प्रधान कार्यालय के लेखा विभाग को जमा किया जाना पाया गया। आगे के अनुसंधान में यह प्रकट हुआ कि प्रधान कार्यालय के लेखा विभाग के पास प्राप्ति-नोटों की प्रामाणिकता के सत्यापन हेतु iMMS की लॉगिन-आईडी नहीं थी जिस कारण वे डिजिटल रूप में तैयार प्राप्ति-नोट को स्वीकार करने को इच्छुक नहीं थे। इस प्रकार, प्रधान कार्यालय के लेखा विभाग में बिल पास करने में दोहरा मानदंड अपनाया जाना पाया गया। इसके सुधार हेतु एक समान प्रणाली लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2017/ Trans/ 01/Policy/Stores दिनांक 29.12.2017 के अनुसार शुरु से अंत तक की अनुबंध गतिविधियों का डिजिटलीकरण आवश्यक है। चूँकि डीएसए कार्यालय द्वारा प्राप्ति-नोटों को मैनुअल रूप में प्राप्त किया जा रहा था, इसलिए मामले को प्रधान वित्त सलाहकार कार्यालय के समक्ष उठाया गया।

**Delay in payment of firm's bills against
supplies in depots.**

 **Sunny Sinha, Dy.CVO/S**

Delay in payment of suppliers' bills against the stores supplied in the depots was being reported continuously. Such type of delay is not good for a healthy procurement system as it attracts corrupt practices. Moreover, under such situation, firms may offer higher rates in subsequent purchases which is potential pecuniary threat to the Railways as well.

Considering seriousness of the issue, the matter was taken up by the zonal vigilance office. In the cases investigated by the zonal vigilance, it came up that in most of the cases, delay in payment was mainly on account of delay in release of Receipt-notes by the stores depot and in their subsequent submission to the HQ/Accounts office by DSA. It was further observed that the above process took around 45 to 80 days which is not in order.

Although Receipt-notes were found to be prepared mostly in digital form but more often than not, its submission to the accounts was found to be done in the form of manually signed document. On further investigation, it revealed that HQ/Account section was also reluctant to accept “only digitally signed R-note” as they didn't have the access to the IREPS through which they could have got it cross verified. Hence, duality of system in bill passing section of HQ/Account was observed and a uniform system was needed to be put in place. As per Railway Board L/No. 2017/Trans/01/Policy/Stores dated 29.12.17, end to end digitalization of contract activities has to be ensured. Since, acceptance of R/Notes by the DSA was being done in the manual form; the matter was taken up with the office of PFA.

सतर्कता विभाग के साथ कई बैठकों के बाद प्रधान वित्त सलाहकार कार्यालय द्वारा पत्र संख्या ECR/FIN/S&W/Purchase Susp/2018-19 दिनांक 04.07.2018 जारी कर डिपो द्वारा डीएसए कार्यालय को प्राप्ति—नोट जमा करने की आवश्यकता को खत्म किया गया और इसके स्थान पर डिपो को प्राप्ति आदेश संख्या युक्त डिजिटल हस्ताक्षर वाले प्राप्ति—नोटों को मुख्यालय के सस्पेंस अनुभाग को सीधे भेजने की सलाह दी गई। इसके अलावा, मुख्यालय के स्टोर लेखा कार्यालय को iMMS की लॉगिन—आईडी भी उपलब्ध कराई गई।

डिपो द्वारा एकाउंटल प्रक्रिया में देरी के मामले को प्रधान मुख्य सामग्री प्रबन्धक कार्यालय के समक्ष उठाया गया। प्रधान मुख्य सामग्री प्रबन्धक कार्यालय ने पत्र संख्या ECR/SMM/CMM&Mech/Misc दिनांक 21.08.2018 और भंडार संहिता पैरा 719, 723 और 729 के अनुपालन में पत्र संख्या ECR/SMM/CMM&Mech/Misc दिनांक 23.08.2018 के मार्फत भंडार निर्देश संख्या 90 जारी कर प्राप्ति—नोटों को ग्रांट करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया :—

- पूर्व निरीक्षित सामग्रियों के मामले में प्राप्ति—नोटों को तीन कार्य दिवसों के भीतर ग्रांट किया जाए और इनपर अगले 03 दिनों के भीतर प्राप्ति आदेश जारी हों।
- जिन मामलों में परेषिती द्वारा निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है, उन मामलों में परेषिती को अनुरोध—पत्र दो कार्य दिवसों के भीतर भंडार डीपो द्वारा जारी किया जाए। परेषिती द्वारा सामग्री का निरीक्षण करना और इसके उपरांत निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी होना अगले 07 कार्य दिनों के भीतर सम्पन्न हो जाए। उसके बाद अगले तीन कार्य दिवसों के भीतर प्राप्ति—नोट जारी हो जाना सुनिश्चित करें और प्राप्ति आदेश अगले तीन दिनों के भीतर।
- परेषिती द्वारा सामग्री का निरीक्षण करने में और इसके उपरांत निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी करने में 07 से अधिक कार्य दिवसों के विलंब के मामलों को डीपो द्वारा तत्काल उनके नियंत्रण अधिकारी के संज्ञान में लाया जाए और इसकी एक प्रति खरीद कार्यालय को भी दी जाए ताकि खरीद कार्यालय मामले को परेषिती के मुख्यालय नियंत्रक अधिकारी के समक्ष उठा सकें। हर महीने की 8वीं और 23वीं तिथि को इस पहलू पर एक रिपोर्ट भी प्रधान मुख्य सामग्री प्रबन्धक एवं मुख्य सामग्री प्रबन्धक को जमा किया जाए।

After several meetings conducted by the vigilance, office of PFA issued instructions vide Letter No. ECR/FIN/S&W/ Purchase Susp/2018-19 dt. 04.07.18 as per which submission of R/Notes to DSA by the depot was dispensed with and depots were advised to send digitally signed R/Notes containing RO No. directly to Purchase Suspense Section of HQ for payment. Moreover, access to the IREPS was also made available to HQ StoreAccounts office.

For delay in accountal process by the depots, the matter was taken up with the office of PCMM & office of PCMM issued letter no. ECR/SMM/CMM-Mech/Misc dated 21.08.18 and in adherence with Stores Code Para 719, 723 & 729, stores instruction no. 90 vide letter no. ECR/SMM/CMM-Mech/Misc dated 23.08.18 was issued which inter-alia included the time line in granting the Receipt Notes. The salient features of these guidelines are as follows:

- For pre inspected materials, Receipt Notes should be granted within three working days in normal circumstances. In such cases, RO should be issued within next 03 days.
- In cases where consignee inspection has to be carried out, the request should be issued to consignee within two working days. Consignee should inspect the materials and issue inspection certificate within next 07 working days. After that, Receipt Notes should be granted within three working days and RO should be issued within subsequent three days.
- Delay in consignee inspection for more than 07 working days should be brought to the notice of controlling officer of the consignee immediately with a copy to Purchase office to take up the matter with HQ controlling officer. A report on this aspect should also be submitted to CMM & PCMM on 8th and 23rd of every month.

- केंद्रीकृत प्राप्ति और निरीक्षण के मामलों में यह स्टॉकिंग डिपो की ड्यूटी है कि वे प्राप्ति डिपो द्वारा प्राप्ति-नोट जारी होने की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर प्राप्ति डिपो से सामग्री की प्राप्ति सुनिश्चित करें और उसके अगले दो कार्य दिवसों के भीतर प्राप्ति आदेश जारी करें।
- डीपो द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्राप्ति-नोटों को डिजिटल रूप में आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के भुगतान हेतु मुख्यालय के सस्पेंस अनुभाग को भेजा जाए। किसी भी मामले में मैनुअल रूप से हस्ताक्षरित प्राप्ति-नोट को लेखा कार्यालय नहीं भेजा जाए क्योंकि इससे आपूर्तिकर्ता को दोहरा भुगतान होने की संभावना बनती है।
- डीएसए कार्यालय में मैनुअल प्राप्ति-नोटों के आधार पर होने वाली गतिविधियाँ प्राप्ति-नोटों को ऑनलाइन देखकर की जाए।

सतर्कता कार्यालय द्वारा प्रधान मुख्य सामग्री प्रबन्धक कार्यालय एवं प्रधान वित्त सलाहकार कार्यालय से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने द्वारा जारी किए गए उपरोक्त दिशानिर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएं। प्रधान वित्त सलाहकार कार्यालय ने पत्र संख्या ECR/FIN/S&W/Purchase Susp/2018-19 दिनांक 09.10.2018 के माध्यम से स्पष्ट किया कि प्राप्ति-नोट की हार्ड कॉपी पर क्रेडिट देने की प्रथा बंद कर दी गई है एवं इसके स्थान पर क्रेडिट अब iMMS पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन प्राप्ति-नोटों के आधार पर दी जा रही है और तदनुसार स्टोर बिल पास किए जा रहे हैं।

शुरु से अंत तक की अनुबंध गतिविधियों के डिजिटलीकरण के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सतर्कता कार्यालय ने प्रधान मुख्य सामग्री प्रबन्धक कार्यालय से यह अनुरोध भी किया गया है कि उनके द्वारा कोडल प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्राप्ति-नोट की प्रतियों को संबंधितों के बीच वितरण हेतु दिशानिर्देश जारी किया जाए।

**अनुशासन किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता,
अपितु आत्म अनुशासन लाया जाता है।**

— अटल बिहारी बाजपेयी —

- In cases of centralized receipt and inspection, it is the duty of stocking depot to collect the materials from the receiving depot within five working days from the date of issue of R-Note by the receiving depot and issue RO No. within two working days subsequently.
- Only digitally signed R-Notes containing digital RO No. should be sent to Purchase Suspense Section of HQ for payment of suppliers' bills. In no case, manually signed copies of system generated digitally signed R-Notes should be sent to accounts as it may lead to double payment to the supplier.
- The activities which were carried out by DSA on the basis of manual R-Notes should now be carried out by viewing these R-Notes on line.

Office of PCMM & PFA has been requested to keep watch on strict adherence of the guidelines issued as above by them. Office of PFA vide L/No. ECR/FIN/S&W/Purchase Susp/2018-19 dt. 09.10.18 has confirmed that practice of giving credit on hard copy of R-Note has been replaced by online R-Note available on iMMS Portal and stores bills are passed on the basis of online R-Notes after checking.

Meanwhile, in view of present scenario of end to end digitalization of contract activities, office of PCMM has also been requested to issue guidelines for distribution of copies of the R-Notes in accordance with codal provisions.

*If a country is to be corruption free
and become a nation of beautiful minds,
I Strongly feel there are three key societal
members who can make a difference. They are
the father, the mother and the teacher.*

-A.P. J Abdul Kalam-

यातायात

पंकज नयन, जयन्त मजूमदार, अविनाश कुं सिंह, रंजीत कुमार, प्रवीण कुमार
ज्योति प्रकाश, ए.के. श्रीवास्तव, एस.के. सिंह, अजीत कुमार, आई.ए.ए.फरीदी
मुसतानि/यातायात

1. यूटीएस काउण्टर में अनियमितता।

- स्रोत सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ कि कार्यरत बुकिंग क्लर्क द्वारा टिकट जारी करने के लिए वास्तविक किराया से अधिक किराया लिया जा रहा है। एक विभागीय जाँच मुजफ्फरपुर से लोकमान्य तिलक के चार टिकट के क्रय हेतु व्यवस्थित किया गया। कार्यरत बुकिंग क्लर्क द्वारा रु० 1520/- के बदले रु० 1560/- माँगा गया और स्वीकार किया गया जो कि रु० 10/- प्रति टिकट अधिक था।
- रुपया 140/- उसके सरकारी धन में अधिक पाया गया जिसे विविध आय के रूप में जमा कराया गया।
- बुकिंग क्लर्क ने छद्म यात्री को जारी किये गये चार टिकट में से एक टिकट वरिष्ठ नागरिक को भी जारी किया था जबकि छद्म यात्री के द्वारा केवल द्वितीय श्रेणी मेल एक्स. (वयस्क) टिकट की माँग की गई थी।

संबंधित कर्मचारी को इस कृत्य के लिए दीर्घ शास्ति का आरोप पत्र दिया गया।

2. जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक काउण्टर में अनियमितता।

- स्रोत सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ कि जेटीबीएस काउण्टर पर कार्यरत ऑपरेटर द्वारा टिकट जारी करने के लिए वास्तविक किराया से अधिक किराया लिया जा रहा है। एक विभागीय जाँच मुजफ्फरपुर से अम्बाला के दो टिकट के क्रय हेतु व्यवस्थित किया गया। कार्यरत ऑपरेटर द्वारा रु० 592/- (किराया दो टिकट का रु० 590 तथा कमीशन रु. 2/-) के बदले रु. 610/- माँगा गया और स्वीकार किया गया जो कि रु. 10/- प्रति टिकट अधिक था।
- रु. 163/- उसके सरकारी धन में कम पाया गया।

संबंधित मंडल को जेटीबीएस के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सलाह दी गई।

TRAFFIC

Pankaj Nayan, Jayant Majumdar, Avinash Kr.Singh, Ranjeet Kumar, Praveen Kumar
Jyoti Prakash, A. K. Srivastava, S.K. Singh, Ajeet Kumar, I.A.A. Faridi
CVI/Traffic

1. Irregularities in UTS counter

- On the basis of source information that on duty booking clerk is taking excess fare than the actual fare for issuing tickets, a decoy check was arranged for purchasing of four tickets ex MFP to LTT. The booking clerk demanded and accepted Rs. 1560/- instead of Rs. 1520/- i.e. Rs. 10/- as excess for each ticket.
- Rs. 140/- was also found as excess in his Govt. cash which was deposited as sundry earning.
- The booking clerk also issued one Sr. citizen ticket out of four tickets issued by him to the decoy passenger while the decoy passenger had demanded 2nd class M/Exp. (adult) tickets only.

The concerned staff has been served with Major penalty charge sheet.

2. Irregularities in JTBS Counter

- On the basis of source information that operator working at JTBS counter is taking excess fare than the actual for issuing tickets, a decoy check was arranged for purchasing of two tickets ex MFP to UMB. The JTBS operator demanded and accepted Rs. 610/- instead of Rs. 592/- (actual fare for two tickets i.e. Rs. 590/- + Rs. 2/- commission).
- Rs. 163/- was also found as short in his Govt. cash.

Concerned division has been advised to take suitable administrative action against the JTBS.

3. सी0 आई0 टी0 ऑफिस में अनियमितता

सतर्कता दल , पूर्व मध्य रेल द्वारा एक स्टेशन के मुख्य टिकट निरीक्षक, कार्यालय के स्लीपर लिंक में कार्यरत टिकट परीक्षकों द्वारा सरकारी धन जमा करने के संबंध में एक निवारक जाँच किया गया। जाँच का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:—

- जाँच में यह पाया गया कि स्लीपर लिंक के कई कर्मचारी अपना सरकारी धन अपने मुख्यालय वापस आने के बाद देर से जमा करते हैं।
- दस्तावेजों के गहन जाँच में यह पाया गया कि तीन कर्मचारी नियमित रूप से अपना सरकारी धन अपने मुख्यालय लौटने के कई दिनों के बाद जमा करते हैं।

संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्यवाही किया गया।

4. ट्रेन में अनियमितता

पूर्व मध्य रेल के सतर्कता दल द्वारा बिहिया एवं इलाहाबाद स्टेशनों के मध्य राजधानी एक्सप्रेस (12309) में की गई निवारक जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएँ उजागर हुई:—

- उपरोक्त गाड़ी के वातानुकूलित द्वितीय शयनयान (2nd AC) कोच में बिना टिकट के तीन यात्री बर्थ सं० 37, 38, व 39 पर यात्रा कर रहे थे। सतर्कता जाँच के फलस्वरूप उक्त तीनों यात्रियों से किराया एवं जुर्माना के रूप में रु. 19110 /— वसूला गया।
- उक्त कोच के बेडरोल स्टाफ ने अपने लिखित बयान में यह तथ्य उजागर किया कि कोच कंडक्टर की मिलीभगत से बेटिकट यात्रियों को यात्रा करवाया जाता है।
- उपरोक्त गाड़ी के वातानुकूलित तृतीय शयनयान (3rd AC) कोच में एक महिला यात्री बर्थ संख्या 39 पर द्वितीय श्रेणी के मेल/एक्सप्रेस के टिकट पर यात्रा कर रही पाई गयी। सतर्कता जाँच के फलस्वरूप उक्त महिला यात्री से रु. 4030 /— किराया एवं जुर्माना स्वरूप लेकर नियमित किया गया।

संबंधित टिकट चेकिंग कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्यवाही किया गया।

3. Irregularities in CIT Office

A preventive check was conducted by vigilance team of ECR at CIT office regarding deposition of Govt. Cash by Sleeper link staff of a station. Details of check are as under:-

- During check, it was found that many sleeper link staff deposit their Govt. Cash after returning to their HQ on elapse of long period.
- On scrutiny of records, it was found that three (03) staff deposits their Govt. Cash after returning to their HQ on elapse of long period on regular basis.

The concerned staff had been taken up under D&AR action.

4. Case of irregularity in Train

A preventive check was conducted by the vigilance team of ECR in train no-12309 (Rajdhani Exp.) in between BEA to ALD. The following irregularities were detected :-

- In one 2nd AC coach, three (03) without ticket passengers were found travelling on berth no. 37, 38 & 39. As a result of vigilance check, total Rs.19,110/- was realized from the said passengers as fare & penalty.
- As per written statement of bedroll staff of the said coach, the carrying of such illegal passenger was being done with the connivance of the coach conductor.
- In one 3rd AC coach, 01 lady passenger was found on berth no. 39 travelling with 2nd class M/Exp. ticket. As a result of vigilance check, total Rs.4030/- was realized from the lady passenger as fare & penalty.

The concerned staff has been taken up under D&AR action.

5. आरक्षण कार्यालय पर दलालों की गतिविधियाँ

- स्रोत सूचना के आधार पर एक आरक्षण कार्यालय में एक सतर्कता जाँच किया गया कि आरक्षण कार्यालय में कार्यरत एक आरक्षण कर्मचारी “तत्काल टिकट” जारी करने के लिए अपनी ड्यूटी से पूर्व ही पहले से भरा आरक्षण माँग पर्ची एवं अधिक पैसे स्वीकार करते हैं।
- कन्फर्म तत्काल टिकट बनाने के बाद कर्मचारी यह टिकट अल्पाहार-विराम के समय या ड्यूटी समाप्त होने के बाद दलालों को सौंप देते हैं।
- इस गतिविधि को सुनिश्चित करने के लिए एक “प्री-चेक मेमो” तैयार किया गया एवं सूचना के आधार पर अधिक किराया एवं भरा हुआ आरक्षण माँग पर्ची स्रोत द्वारा भेजा गया।
- सतर्कता दल को स्रोत से सूचना प्राप्त हुआ की पहले से भरे गए आरक्षण माँग पत्र के आधार पर तत्काल टिकट तथा आरक्षण पर्ची उक्त कर्मचारी द्वारा बनाया गया।
- अल्पाहार विराम में जब सतर्कता दल ने जाँच किया तो तत्काल टिकट आरक्षण लिपिक के पास पाया गया।

संदर्भित कर्मचारी को दीर्घ शास्ति का आरोप पत्र जारी किया गया तथा उसका स्थानांतरण इतर रेलवे में किया गया।

6. पार्सल कार्यालय में अनबुक्ड पैकेजों की जाँच

स्रोत सूचना के आधार पर सतर्कता दल, पूर्व मध्य रेल एवं मंडल के कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त जाँच गाड़ी संख्या 12149 के पार्सल पैकेजों की अनलोडिंग के समय बुकिंग स्टेशन से बिना बुक कर भेजे पार्सल पैकेजों के संबंध में किया गया। जाँच के दौरान गंतव्य स्टेशन पर 178 कार्टून अनार बिना बुक किया हुआ पाया गया। पार्सल कार्यालय में इन पैकेजों का दावा करने वाला कोई मालिक नहीं था जिसको इन्हें सुपुर्द किया जा सके।

जब इन बिना बुक किए गए 178 कार्टून को गौर से जाँचा गया तो यह पाया गया कि उन पर वही निजी मार्किंग था जो बुकिंग स्टेशन पर भिन्न-भिन्न रेलवे रसीद पर बुक किए गए पैकेजों पर था। इससे यह प्रतीत होता है कि बुकिंग स्टेशन के पार्सल कर्मचारी के मिलीभगत से ये अनार के कार्टून बिना रेलवे रसीद के लदान कर भेजा गया है।

सतर्कता दल के निर्देश पर इन 178 कार्टून अनार के पैकेजों का गंतव्य स्टेशन पर नीलामी किया गया एवं इस प्रकार रुपया 72,624/- रेलवे राजस्व में अर्जित किया गया। संबंधित रेलवे के पार्सल कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही के लिए सूचित किया गया।

5. Touting Activity at PRS

- A vigilance check was conducted on source information that reservation staff working at reservation office accepts excess money with prefilled requisition slips for generation of “TATKAL” ticket prior to his duty.
- After generation of confirmed Tatkal ticket the staff hands over the ticket to touts during recess period or after completion of his duty.
- To confirm this activity, a pre-check memo was prepared & pre filled requisition slip with excess money was sent through source.
- Vigilance team got confirmation from the source that the “TATKAL JCRT” was generated on the sent pre-filled requisition slip.
- At the recess period when vigilance team checked, TATKAL JCRT & requisition slip found from the possession of Reservation clerk.

The concerned staff had been served with Major penalty charge sheet and transferred to other Railway.

6. Irregularities in Parcel Office

On source based information, a joint check was conducted by vigilance team of ECR alongwith divisional officials at the time of unloading of Parcel packages from train no. 12149 regarding loading of un-booked packages from booking station. During check total 178 cartons Anar was found un-booked at destination. There was no claimant found available at Parcel office for delivery of the said consignment.

On scrutiny of total 178 Cartons of un-booked consignment, it resembles that private marking of packages were similar to private markings which was actually booked from destination vide different RRs generated at source station. It seems that all these packages were loaded and sent to destination without generation of RR with the connivance of Parcel staff at source station.

As a result of vigilance check, all 178 cartons were auctioned and Rs. 72,624/- was collected as Railway revenue. Concerned Railway has been advised to take suitable D&AR action against the parcel staff.

7. माँग पर दी गई VP में अतिलदान

एक गाड़ी में माँग पर दी गई VP में क्षमता से अधिक लदान की स्रोत सूचना के आधार पर अनलोडिंग स्टेशन पर निवारक जाँच की गई।

- जाँच के दौरान अनलोडिंग स्टेशन पर माँग पर दी गई VP के पैकेजों का पुनः वजन किया गया। दी गई VP में रेलवे रसीद के अनुसार 1097 पैकेज के विरुद्ध वास्तव में कुल 1210 पैकेज पाए गए एवं रेलवे रसीद पर अंकित वजन 22628 किलो के विरुद्ध वास्तव में कुल 28960 किलो पाया गया। इस VP का वहन क्षमता 23000 किलो था एवं 236259/- रुपये वीपी के लिए अवप्रभार के रूप में अर्जित किया गया।
- जाँच के दौरान अनलोडिंग स्टेशन पर माँग पर दी गई VP के पैकेजों का पुनः वजन किया गया। दी गई VP में आरआर के अनुसार 1751 पैकेज के विरुद्ध वास्तव में कुल 1960 पैकेज पाए गए तथा आरआर में अंकित वजन 22806 किलो के विरुद्ध वास्तव में कुल 25006 किलो वजन पाया गया। इस प्रकार VP में 2006 किलो अत्यधिक वजन पाया गया। इस VP का वहन क्षमता 23000 किलो था एवं 92619/- रुपये VP के लिए अवप्रभार के रूप में अर्जित किया गया।
- जाँच के दौरान अनलोडिंग स्टेशन पर माँग पर दी गई VP के पैकेजों का पुनः वजन किया गया। दी गई VP में आरआर के अनुसार 2123 पैकेज के विरुद्ध वास्तव में कुल 2554 पैकेज पाए गए लेकिन आरआर में अंकित वजन 22813 किलो के विरुद्ध वास्तव में कुल 34812 किलो वजन पाया गया। इस प्रकार VP में 11812 किलो अत्यधिक वजन पाया गया। इस VP का वहन क्षमता 23000 किलो था एवं 425824/- रुपये VP के लिए अवप्रभार के रूप में अर्जित किया गया।

संबंधित रेलवे को पार्टी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही तथा माँग पर VP में लदान के दौरान पर्यवेक्षण करने हेतु सूचित किया गया।

7. Overloading in on-demand VP

Based on source information of excess loading in on demand VP of a train, a preventive check was conducted at unloading station.

- During the check, packages of on demand VP were re-weighed at unloading station. In VP, total 1210 packages were found against mentioned packages as 1097 and weight of the same were found 28960 kg against booked weight mentioned in RR as 22628 kg. Thus an excess weight of 5960 kg was detected as carrying capacity of the VP was 23000 kg. An amount of Rs. 236259/- was realized as undercharge in the compartment.
- During the check, packages of on demand VP were re-weighed at unloading station. In demand VP, total 1960 packages were found against mentioned packages as 1751 and weight of the same were found 25006 kg against booked weight mentioned in RR as 22806 kg. Thus an excess weight of 2006 kg was detected as carrying capacity of the demand VP was 23000 kg. An amount of Rs.92619/- was realized as undercharge in the compartment.
- During the check, packages of on demand VP were re-weighed at unloading station. In VP , total 2554 packages were found against mentioned packages as 2123 and weight of the same were found 34812 kg against booked weight mentioned in RR as 22813 kg. Thus an excess weight of 11812 kg was detected as carrying capacity of the VP was 23000 kg. An amount of Rs. 425824/- was realized as undercharge in the compartment.

The concerned railway has been advised for punitive action against the party and further monitoring of loading in on demand VP at their end.

8. लीज पर दिए गए एसएलआर में अतिलदान

एक गाड़ी में लीज पर दी गई एसएलआर में अधिक लदान की स्रोत—सूचना के आधार पर एक स्टेशन पर निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान अनलोडिंग स्टेशन पर लीज पर दिए गए एसएलआर के पैकेजों का पुनः वजन किया गया।

- लीज पर दिए गए एसएलआर में रेलवे रसीद के अनुसार 118 पैकेज के विरुद्ध वास्तव में कुल 168 पैकेज पाए गए एवं रेलवे रसीद में अंकित वजन 4940 किलो के विरुद्ध वास्तव में कुल 7794 किलो वजन पाया गया। इस प्रकार लीज पर दिए एसएलआर में 2794 किलो अधिक वजन पाया गया। इस एसएलआर का वहन क्षमता 5000 किलो था एवं रु० 79173/— लीज के लिए अवप्रभार के रूप में अर्जित किया गया।
- लीज पर दिए गए एसएलआर में रेलवे रसीद के अनुसार 190 पैकेज के विरुद्ध वास्तव में कुल 130 पैकेज पाए गए एवं रेलवे रसीद में अंकित वजन 3890 किलो के विरुद्ध वास्तव में कुल 5555 किलो वजन पाया गया। इस प्रकार लीज पर दिए एसएलआर में 1555 किलो अधिक वजन पाया गया। इस एसएलआर का वहन क्षमता 4000 किलो था एवं रु० 89652/— लीज के लिए अवप्रभार के रूप में अर्जित किया गया।

संबंधित रेलवे को पार्टी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सूचित किया तथा लीज पर दिए एसएलआर में लदान के दौरान पर्यवेक्षण करने हेतु सूचित किया गया।

**“मोह एक अत्यंत विस्मृत जाल है, जो बाहर से अति सुन्दर और
अन्दर से अत्यंत कष्टकारी है; जो इसमें फँसा वो पूरी तरह उलझ ही गया।”**

— स्वामी दयानन्द सरस्वती —

8. Overloading of leased SLR

Based on source information of excess loading of leased SLR of a train, a preventive check was conducted at a station. During the check, packages of leased SLR were reweighed at unloading station.

- In SLR, total 118 packages were found against mentioned packages as 168 and weight of the same were found 7794 kg against booked weight mentioned in RR as 4940 kg. Thus an excess weight of 2794 kg was detected as carrying capacity of the lease SLR was 5000 kg. An amount of Rs. 79173/- was realized as undercharge in the compartment.
- In SLR, total 130 packages were found against mentioned packages as 190 and weight of the same were found 5555 kg against booked weight mentioned in RR as 3890 kg. Thus an excess weight of 1555 kg was detected as carrying capacity of the lease SLR was 4000 kg. An amount of Rs. 89652/- was realized as undercharge in the compartment.

The concerned railway had been advised for punitive action against the party and further monitoring of loading in leased SLR at their end.

**"Education is the most powerful
weapon which you can use
to change the world."**

— Nelson Mandela —

9. कोचिंग ट्रेन के रिशेप्शन में अनियमितता

पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर के सतर्कता दल के द्वारा एक निवारक जाँच "दैनिक भास्कर" दिनांक 04.02.2018 के संस्करण में छपे भेंडर एवं स्टेशन मास्टर के बीच वार्तालाप की ऑडियो क्लिप जिसमें आरोप था कि कोचिंग ट्रेन के प्लेटफॉर्म संख्या का निर्धारण भेण्डरों की इच्छा के अनुरूप होती है, की सत्यता की जाँच करने हेतु की गई। सत्यता की जाँच हेतु, सतर्कता दल के द्वारा सक्षम अधिकारी के साथ स्टेशन प्रबंधक कार्यालय जा कर की गई। सतर्कता दल द्वारा ट्रेन बर्थिंग चार्ट, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका और स्टेशन डायरी को स्टेशन प्रबंधक कार्यालय से सूक्ष्म परीक्षण हेतु जब्त किया गया।

- CFSL रिपोर्ट से संबंधित स्टेशन मास्टर के आवाज के नमूने से उस ऑडियो क्लिप के लगभग मिलान की पुष्टि हुई जो इस बात की पुष्टि करता है कि अपने निजी लाभ के लिए स्टेशन मास्टर की भेंडरों की इच्छा के अनुसार प्लेटफॉर्म पर गाड़ी स्वीकार करने में संलिप्तता थी। संबंधित कर्मचारी का यह कृत्य न तो ट्रेन संचालन व न ही यात्री के दृष्टि से सुरक्षित था।

डाटा के सूक्ष्म अवलोकन से ज्ञात हुआ कि ट्रेन बर्थिंग चार्ट का अच्छी तरह से अनुपालन नहीं किया गया था। ट्रेन के लिए आवंटित प्लेटफॉर्म और जिस प्लेटफॉर्म पर स्वीकार किया गया, उसमें भिन्नता पाई गई।

संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध रेल अनुशासन व अपील नियम के अंतर्गत कार्यवाही किया गया।

**देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है, और यह
पूर्ण निष्ठा है क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि
बदले में उसे क्या मिलता है।**

— लाल बहादुर शास्त्री —

9. Irregularities in reception of coaching train

A preventive check was conducted by the vigilance team of ECR in SM office to verify the allegation based on the audio clip of conversation between vendor & SM regarding receiving of coaching train on platform as desired by vendors which was published in news paper “DAINIK BHASKAR” edition on 04/02/2018. The vigilance team, in order to verify the fact, visited the SM office along with competent authority. Vigilance team seized Train berthing chart, Train Signal Register, Attendance register and Station diary from the SM office regarding scrutiny.

- CFSL report confirmed that voice clip sample of concerned SM and that of audio closely matches which confirms involvement of SM with Vendors to receive the train on platform as desired by vendors for personal gains. This act of concerned staff was neither safe for train operation nor safe from the passenger point of view.

During the scrutiny of data, it was observed that train berthing chart was not followed properly. Train received on platform shows deviation from their allotted platform.

The concerned staff has been taken up under DAR.

**"The highest education is that
which does not merely give
us information but makes our life
in harmony with all existence."**

— Rabindranath Tagore —

10. आरक्षण कार्यालय में अनियमितता

सतर्कता विभाग द्वारा आरक्षण कार्यालय में एक निवारक जाँच किया गया। जाँच के दौरान यह पाया गया कि मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक सहित कुल 23 कर्मचारी कार्यालय में कार्यरत थे एवं केवल 04 काउण्टर का संचालन किया जाता था। दस्तावेजों के सूक्ष्म अवलोकन में यह पाया गया कि प्रत्येक पाली (08-14 एवं 14-20 बजे) में केवल 04 काउण्टर ही नियमित रूप से संचालित होते थे। इस कार्यालय में तैनात कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार था:-

- मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक की सहायता के लिए 01 कर्मचारी
- प्रत्येक पाली में पाली पर्यवेक्षक के लिए 01 कर्मचारी
- ईडीआर भरने के लिए 01 कर्मचारी
- प्रत्येक पाली में चार्ट तैयार करने के लिए 02 कर्मचारी
- वाईटीएसके एवं रिटर्न/स्टॉक कार्य के लिए 01 कर्मचारी
- ईक्यू सेल एवं डीआरएम कार्यालय के नन-कैश काउण्टर के लिए 02 कर्मचारी
- अतिरिक्त पाली (06-14 बजे एवं 14-22 बजे) के लिए 02 कर्मचारी
- आरजी/एलआर के लिए 02 कर्मचारी

उक्त तथ्य यह इंगित करता है कि केवल 12 कर्मचारी ही सक्रिय रूप से काउण्टर पर कार्य करते थे जबकि शेष कर्मचारी विविध कार्य हेतु तैनात किये गये थे जैसे कि – एक पर्यवेक्षक, मुख्य आरक्षण के सहायता के लिए तथा इसके अतिरिक्त 02 पाली पर्यवेक्षक भी लगाये गये थे जो कि अनुचित प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त यह "ए-1" कैटेगरी का एक मध्यवर्ती स्टेशन है जहां केवल प्रतीक्षा सूची चार्ट तैयार होता है। वर्तमान में दिनांक 01.03.2018 से रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश वाणिज्य परिपत्र सं०10/2018 के अनुसार "ए-1", "ए" एवं "बी" वर्ग (category) के स्टेशनों पर चार्ट का पेस्टिंग भी बन्द कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में चार्ट तैयार करने के लिए प्रत्येक पालियों में 02 कर्मचारियों की तैनाती जरूरत से ज्यादा प्रतीत होता है।

इसके अलावा यह भी नोटिस किया गया कि मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (प्रभारी) 20 से अधिक वर्षों से पदस्थापित थे, साथ ही साथ ऐसे कई कर्मचारी थे जो 05 वर्षों से 20 वर्षों के बीच उक्त स्टेशन पर पदस्थापित थे।

10. Irregularities in Reservation Office

A preventive check was conducted at Reservation office by Vigilance department. During the check, it was found that total (04) four counters were being manned by staff whereas 23 staff including CRS (Incharge) were posted at this station. On scrutiny of records, it came to notice that 04 counters are being manned in each shift (08-14 Hrs & 14-20 Hrs.) on regular basis. Deployment of staff at this office was found as under:

- 01 staff to assist Chief Reservation Supervisor
- 01 shift supervisor in each shift
- 01 staff - For EDR feeding
- 02 staff for chart preparation in each shift
- 01 staff for YTSK & Return/Stock works
- 02 staff for EQ cell & non cash counter of DRM office
- 02 staff for additional shift (06-14 Hrs. & 14-22 Hrs.)
- 02 staff for RG/LR

Above mentioned fact indicates that only 12 staff are actively associated with counter duty while rest staff are deployed in miscellaneous work such as one supervisor kept for assisting CRS (Incharge) in addition to that 02 shift supervisor are also engaged, which seems unjustified.

Moreover, it is an intermediate station of A-1 category where only waitlisted chart is prepared. At present, pasting of chart has also been discontinued at A-1, A & B class station since 01.03.2018 as per Railway Board's directives circulated vide Commercial circular No.10 of 2018. In this circumstance engagement of 02 staff for charting purpose in each shift also seems to be superfluous.

It is further noticed that CRS (Incharge) was posted more than 20 years along with other long stayed staff ranging from 05 to 20 years.

लेखा एवं कार्मिक

✍ श्री संजय कुमार, मुसतानि/कार्मिक

✍ श्री डी. के. सिन्हा, मुसतानि/कार्मिक

✍ श्री पी. के. चौबे, मुसतानि/लेखा

1. पत्नी के फ्लैट को ही लीज पर लिया जाना ।

लीज आवास के मुद्दे पर एक निवारक जाँच की गई जिसमें पाया गया कि एक कर्मचारी द्वारा वर्ष 2007 से ही लीज आवास लिया गया था जिसे जून 2011 में कर्मचारी द्वारा लीज आवास के परिवर्तन हेतु फ्लैट मालकिन के सहमति के साथ एक आवेदन दिया गया जिस पर प्रशासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं लीज राशि का भुगतान फ्लैट मालकिन को बैंक खाता के माध्यम से किया गया ।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित फ्लैट मालकिन एवं कर्मचारी की पत्नी का नाम एक ही था एवं उनके पिता का नाम भी एक ही था ।

आगे की जाँच के दौरान कर्मचारी द्वारा अपनी पत्नी के पैन कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध करायी गई जो कि फ्लैट मालकिन के बैंक खाता में दिये गये पैन नं० से मिलान करने पर बिल्कुल समान पाया गया । इससे यह साबित होता है कि कर्मचारी द्वारा अपनी पत्नी के फ्लैट को ही लीज पर लिया गया था ।

जाँच के आधार पर जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाही एवं किये गये लीज राशि के भुगतान की कटौती की अनुशंसा की गई है ।

**“ भ्रष्टाचार को पकड़ना बहुत कठिन काम है,
लेकिन मैं पूरे जोर के साथ कहता हूँ कि
यदि हम इस समस्या से गंभीरता और दृढ़ संकल्प के
साथ नहीं निपटते तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह
करने में असफल होंगे।”**

— लाल बहादुर शास्त्री —

Case Study

ACCOUNTS & PERSONNEL

✎ Sri Sanjay Kumar, CVI/P

✎ Sri D.K. Sinha, CVI/P

✎ Sri P.K. Chaubey, CVI/A

1. Lease residence on the name of own wife.

A PC was conducted on leased residence and found that one employee was living in a leased residence since 2007. He made an application with the consent of flat owner for change of leased residence, which was accepted by the Administration and leased amount was paid in the name of new flat owner through the Bank Account.

During investigation, it was found that flat owner & the employee's wife name and even her father's name was same.

Further, the employee had submitted his wife's PAN No. (Photocopy) which was exactly the same as the PAN No. declared with the bank account of flat owner. This proved that employee had leased his wife's flat.

Based on investigation, suitable D&AR action along with recovery of paid lease amount has been recommended.

**"If a country is to be corruption free and
become a nation of beautiful minds,
I strongly feel there are three key
societal members who can make
a difference. They are the father,
the mother and the teacher ."**

— A.P.J. Abdul Kalam —

2. रेल सेवा में छद्म-भेषियों की सहायता से नियुक्ति ।

स्रोत सूचना के आधार पर रेलवे में एक्स वाई जेड पद पर भर्ती हेतु लिए गये लिखित परीक्षा में अनियमितता के मद्देनजर रेलवे भर्ती बोर्ड/एबीसी में एक सतर्कता निवारक जाँच का आयोजन किया गया ।

जाँचोपरांत यह पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर छद्म-भेषियों को बैठाकर लिखित परीक्षा में सफलता हासिल किया था। लिखित परीक्षा में उनकी जगह छद्म-भेषियों के परीक्षा में शामिल होने की बात को परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में तैनात वीक्षक, केन्द्राधीक्षक एवं टाऊन इन्चार्ज के द्वारा पकड़ा नहीं जा सका । समय आने पर परीक्षार्थी रेलवे भर्ती बोर्ड/एबीसी द्वारा आयोजित भीओसी (VOC) में खुद उपस्थित होकर एक्स वाई जेड के पद पर अंतिम रूप से चयनित हो गए

जाँच के दौरान यह पाया गया कि लिखित परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के हस्तलिपि, अँगुठे का निशान एवं हस्ताक्षर, भीओसी (VOC) के दौरान परीक्षार्थी के द्वारा लिखे गए घोषणा-पत्र से बिल्कुल ही भिन्न था फिर भी रेलवे भर्ती बोर्ड की टीम के द्वारा भीओसी (VOC) के दौरान उक्त अनियमितता को पकड़ा नहीं जा सका । सतर्कता संगठन के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा की ओएमआर (OMR) शीट, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पत्र एवं भीओसी (VOC) के दौरान लिखित घोषणा-पत्र को जब्त किया एवं इसे अभ्यर्थियों की पहचान की सत्यता परखने हेतु जीईक्यूडी (GEQD) के पास भेजा गया । जीईक्यूडी (GEQD) के रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाणित हो गया कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के बदले छद्म-भेषियों ने भाग लिया था ।

उपरोक्त के आलोक में उक्त अभ्यर्थियों को रेलवे में छद्म-भेषियों की मदद से नौकरी प्राप्त करने का दोषी पाया गया ।

इस संबंध में संबंधित मंडल के सक्षम अधिकारी को संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया । उपरोक्त के अतिरिक्त भीओसी (VOC) में रेलवे भर्ती बोर्ड/एबीसी से संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेवारी एवं उनकी भूमिका के संबंध में भी अग्रेतर जाँच प्रक्रियाधीन है ।

2. Appointment in Railway services with the help of impersonators

A preventive check, based on source information, was conducted in the office of RRB/ABC on the aspect of irregularities in recruitment of XYZ in Railway services.

It was found that some candidates got selected in written examination for appointment to the post of XYZ by arranging impersonators in written examination on behalf of them. The fact of utilization of impersonators in written examination by them was not detected by Invigilators, Centre Superintendent and Town Incharge at Centre. The said candidates themselves appeared in VOC in due course and got selected finally for the post of XYZ by RRB/ABC.

During investigation it was found that the writing on running hand, thumb impressions & signatures of some candidates in written examination were quite different from the declaration forms written by the candidates in VOC, however the said irregularities were not detected by RRB team during the VOC process. Vigilance organization seized the OMR sheet, Attendance sheet of written examination, Admit card & declaration forms which were filled up during the VOC and sent to GEQD for verification of identity of the candidates. On the basis of report of GEQD, it was confirmed that impersonators appeared in the written examination on behalf of the said candidates.

In view of the above, aforesaid candidates were found responsible for getting their jobs in Railway with the help of impersonators.

In this regard, a letter has been written to competent authority of concerned Division to take suitable action against the employees concerned. Apart from the above, further investigation on the role and responsibility of concerned official of RRB/ABC in VOC is also under process.

1. सी सी कार्य के क्रियान्वयन में अनियमितता

श्री राकेश कुमार, मुसतानि/इंजी

एक शिकायत मामले की जाँच के दौरान यह पाया गया कि रेलवे कॉलोनी के क्वाटर के 3 ब्लॉक में, मरम्मत, रंगाई, सफेदी, रोगन आदि कार्य के लिए एक क्षेत्रीय कार्य में एक कार्यादेश बनाया गया था और यह मंडल द्वारा स्वीकृत था। इस कार्यादेश के विरुद्ध अन्तिम बिल के लिए मापी, संबंधित जू0 इं0/कार्य द्वारा दर्ज किया गया था। संयुक्त जाँच में यह पाया गया कि कार्यादेश के अनुसूची के, कार्य के मद, सीमेन्ट कंक्रीट ग्रानोलिथिक फर्श 1:2:4 (1 सिमेन्ट : 2 बालू : 4 श्रेणीकृत पत्थर गिट्टी) आदि, 25 मिमी. मोटाई के 12.5 मिमी के नामिनल साइज के गिट्टी द्वारा, को मापी पुस्तिका में दर्ज मापी के अनुसार कराया गया है।

उपरोक्त दर्ज मापी में कुछ लोकेशन को A (क्षे0 38.96 वर्गमीटर) चिन्हित किया गया था और उस लोकेशन को पुनः मापी पुस्तिका में अनुसूची के कार्य के मद, सीमेन्ट कंक्रीट 1:3:6, 40 मिमी ग्रेडेड स्टोन के साथ 100 मिमी. मोटाई के विरुद्ध मापी पुस्तिका में दर्ज किया गया था और इसके लिए भुगतान भी किया गया था किन्तु संयुक्त जाँच के दौरान यह कार्य किया हुआ नहीं पाया गया। इस प्रकार गलत मापी जू0इं0/कार्य द्वारा मापी पुस्तिका में दर्ज किया गया। परीक्षण जाँच के दौरान वसेइं0/कार्य प्रभारी द्वारा इस कार्य को सुनिश्चित नहीं किया गया। इस प्रकार अधिक भुगतान 3.90 घनमीटर (38.96 वर्गमीटर X 100 मिमी) के लिए किया गया, जिसके फलस्वरूप रेलवे को रु. 11,218.20 का कुल नुकसान हुआ। इस अनियमितता के लिए जू0इं0/कार्य एवं वसेइं0/कार्य प्रभारी को दोषी पाया गया और अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्यवाही की गयी। उपरोक्त राशि की वसूली, संवेदक से करने के लिए अनुशंसित किया गया है।

1. Irregularity in execution of CC work

 **Sri Rakesh Singh, CVI/Engg**

During investigation of a complaint case it was found that, in a Zonal work, a work order was made for the work of Repairs, Colour washing, White Washing, painting etc. of Qtr. in 3 blocks in a railway colony and sanctioned. Measurement for the final bill against this work order was recorded in MB by concerned JE/works. During joint check, it was found that executed quantity for the schedule item of works, cement concrete granolithic flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate) etc. 25 mm thick with 12.5 mm nominal size stone aggregate was found normally executed as recorded in MB.

In above, recorded measurement, some locations were marked A (area 38.96 m^2) against the work of Cement concrete 1:3:6 with 40 mm graded stone of thickness 100mm in MB and payment was made for it but during joint check, above work was not found executed. Thus false measurement was recorded by JE/Works. During the test check, also SSE incharge did not ensure that the above work has been executed. Thus, excess payment for 3.90 m^3 ($38.96 \text{ m}^2 \times 100\text{mm}$) for CC 1:3:6 was made resulting loss of Rs. 11,218.20/- to the railway. For above irregularities, the JE/works and SSE/Works incharge were considered responsible and taken up under DA rule. Recovery of above amount from agency was recommended.

2. वाशिंग एग्रन कार्य के क्रियान्वयन में अनियमितता

“वाटरिंग हाइड्रेंट और वाशिंग एग्रन (16 कोच की लम्बाई 360 मी०) उच्च दाब जेट सफाई पद्धति से” के निर्माण कार्य के निवारक जाँच में यह पाया गया कि उस कार्य के लिए जहां अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार एग्रन में प्रवलन इस्पात की आवश्यकता X थी जबकि संवेदक को भुगतान करने के लिए मापी पुस्तिका में Y दर्ज किया गया। X और Y का विस्तृत विवरण नीचे है।

क्रम सं०	कार्य का विवरण	ड्राइंग के अनुसार आवश्यकता (X)	मापी पुस्तिका में दर्ज मापी (Y)
	10 मिमी व्यास की (0.617 किग्रा/मी०) उपर और तल में (क्षैतिज) 300 मिमी केन्द्र से केन्द्र की दूरी पर	$(360\text{मी०} / 0.30\text{मी०} + 1 = 1201 \text{ नं०})$ $1201 \text{ नं०} \times 2 \times 3.87 \text{ मी०} \times 0.617 \text{ किग्रा/मी०} = 5735.47 \text{ किग्रा०}$	$2 \times 1 \times 1441 \times 4.00 = 11528 \text{ किग्रा०}$ (बिना प्रवलन इस्पात के यूनिट भार 0.617 किग्रा/मी० का गुणा किए हुए)
	10 मिमी व्यास की (0.617 किग्रा/मी०) अनुदैर्घ्य छड़ 250 मिमी केन्द्र से केन्द्र की दूरी पर	$3.316 \text{ मी०} / 0.25 \text{ मिमी} + 1 = 14 \text{ नं०}$ $14 \text{ नं०} \times 2 \times 360 \text{ मी०} \times 0.617 \text{ किग्रा/मी०} = 6219.36 \text{ किग्रा०}$	$13 \times 12 \times 360 \times 0.617 = 34650.720 \text{ किग्रा०}$
	योग	11954.83 किग्रा	46178.72 किग्रा

इस प्रकार 34223.89 किग्रा (46178.72 किग्रा – 11954.83 किग्रा) अधिक प्रवलन इस्पात की मापी, मापी पुस्तिका में संबंधित वरीय अनुभाग अभियन्ता/कार्य द्वारा दर्ज किया और भुगतान भी किया गया। इस मद का, संबंधित समई द्वारा परीक्षण जाँच भी किया गया था। यह कार्य हिडेन मद का है, इसलिये 100% परीक्षण जाँच संबंधित समई द्वारा करना चाहिए था, लेकिन बिना रिकार्ड मापी के संबंधित समई द्वारा परीक्षण जाँच किया गया है। इस प्रकार 34223.89 किग्रा जिसे 34.224 टन कह सकते हैं, प्रवलन इस्पात का अधिक मापी दर्ज कर संवेदक को भुगतान किया गया। फलस्वरूप रेलवे को रु० 18,70,430/– (34.224 टन X रु. 54652.57/टन) का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

2. Irregularity in execution of Washing Apron

During a preventive check for the work of “Watering hydrant and Washing apron (16 Coach Length= 360m) with high pressure jet cleaning system”, it was detected that as per approved drawing steel reinforcement was required X and measurement recorded in MB for payment to agency Y. Details of X & Y are as under:

Sl No	Description of works	Required as per drawing (X)	Measurement recorded in MB (Y)
	10mm dia (0.617kg/m) Top and bottom (horizontal) @ c/c distance 300mm	(360m/.30m +1) say 1201no.)1201 x 2 x 3.87 m x 0.617Kg/m = 5735.47 Kg	2x1x1441x4.00= 11528 Kg (without multiplying weight/m)
	10mm dia (0.617kg/m) longitudinal bar) @ c/c distance 250mm	(3.316m/.250m +1 say 14no.) 14 x 2 x 360 mx 0.617Kg/m = 6,219.36 Kg	13x12x360x0.617 = 34,650.720 kg
	Total	11954.83 Kg	46,178.72Kg

Thus 34223.89Kg (46,178.72Kg -11954.83 Kg) excess measurement of steel reinforcement was recorded in MB by Concerned SSE(W) and payment was made. This item was also test checked by concerned ADEN. Above item of work is a hidden item, therefore, 100% test check should have been done by concerned ADEN. But without record measurement, test check was done by concern ADEN. Thus excess measurement of steel reinforcement 34223.89 kg say 34.224MT in quantity was recorded and paid to agency, resulting in loss of Rs.1870430/- (34.224MT x Rs. 54652.57/-/MT) to the Railway.

3. कार्य के निष्पादन में अनियमितता:-

✍ श्री सतीश कुमार, मुसतानि/इंजी

- एक मंडल में किए गए संयुक्त जाँच के दौरान, यह पाया गया कि प्लेटफार्म दीवार का निर्माण कनीय अभियंता/कार्य द्वारा तैयार किए गए कच्चा रेखाचित्र के आधार पर किया गया था और स्थल आदेश पुस्तक में सहायक मंडल अभियंता द्वारा बिना मंडल से अनुमोदित नक्शा प्राप्त किए, हस्ताक्षरित किया गया था। इसके अलावा, स्थल आदेश पुस्तक में दिखाये गए कच्चा रेखाचित्र के अनुसार भी कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था क्योंकि स्थल आदेश पुस्तिका के अनुसार पाइल की गहराई 03 मीटर होनी चाहिए थी। इस प्रकार कार्य को किसी भी अनुमोदित ड्राइंग के बिना निष्पादित किया गया था। स्थल आदेश पुस्तक के अनुसार पाइल की गहराई 03 मीटर होना चाहिए था लेकिन इसे 20 अदद पाइल के लिए 2 मीटर गहराई, 20 अदद पाइल के लिए 2.25 मीटर गहराई और 36 अदद पाइल के लिए 2.50 मीटर गहराई निष्पादित किया गया था।
- संयुक्त जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि एम-35 ग्रेड कंक्रीट का उपयोग बिना किसी मिक्स डिजाइन रिपोर्ट के पाइल ढलाई में किया गया था और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए क्युब परीक्षण भी नहीं किया गया था। इस प्रकार मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से मिक्स डिजाइन रिपोर्ट के बिना सीमेंट कंक्रीट के एम-35 ग्रेड का इस्तेमाल पाइल के कार्य में किया गया था और आरसीसी कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साइट पर भी कोई क्युब परीक्षण आदि नहीं किया गया था।
- जाँच के दौरान पाया गया कि स्थानीय स्टील सरिया ब्राण्ड का प्रयोग काम में किया गया था और यहां तक कि स्टील को मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से स्वतंत्र परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही इस्तेमाल किया गया था। अनुबंध की विशेष शर्त के पैरा 11 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि टीएमटी बार केवल एकीकृत इस्पात संयंत्रों वाली कंपनियों से प्राप्त किए जाने चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, स्वतंत्र परीक्षण आयोजित किया जाएगा।

इस प्रकार स्टील सरिया का उपयोग रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या 2007/सीई-आई/सीटी/8 दिनांक-01/05/12 तथा महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)/हाजीपुर द्वारा पत्र संख्या डब्ल्यू-22/118/09/निविदा नीति/पार्ट II/94 दिनांक - 28.06.12 के माध्यम से अनुबंध की विशेष स्थिति के पैरा 11 में उल्लेखित निर्देश के अनुसार नहीं किया गया है।

3. Irregularity in execution of work :-

Sri Satish Kumar, CVI/Engg.

- During joint check, conducted in the division, it was observed that construction of boundary wall was done based on rough sketch drawn by JE/W and signed by ADEN in site order book, without getting any approved drawing from division. Further, work was also not executed as per rough sketch made in site order book because as per site order book pile depth should have been 3m. Thus work was executed without any approved drawing from division & even depth of piles were not executed as per rough sketch made in site order book because as per site order book pile depth should have been 3m but it has been executed as 2 m. depth for 20 nos. piles, 2.25 m for 20 nos. piles and 2.50 m for 36 nos. piles.
- During joint check, it was also observed that M-35 grade concrete was used in piles without any mix design report & even for ensuring quality control cube testing etc. was not done. Thus M-35 grade of cement concrete was used in pile work without any mix design report from recognised laboratory & even any cube testing etc. was also not done at site to ensure quality of RCC work.
- During check of steel reinforcement, steel of local brand was found to be used even without getting independent testing report from recognized laboratory. It has been clearly mentioned in para.11 of special condition of contract that TMT bars should be procured only from firms having integrated steel plants & independent test shall be conducted, wherever required, to ensure that the materials procured conforms to the specification.
- Thus steel reinforcement was not used as per guidelines issued by Rly. Bd. vide letter no.2007/CEI/CT/8dtd-01.05.12 & circulated by GM(Engg)/HJP vide letter no.W 22/118/09/Tender Policy/Pt.II/94 dtd-28.06.12 which has also been mentioned in para.11 of special condition of contract.

4. लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति में अनियमितता:-

✍ श्री सतीश कुमार, मुसतानि/इंजी

- एक मंडल में किए गए निवारक जाँच के दौरान, यह पाया गया कि लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति 1990 से 2016 तक, मंडल द्वारा लाइसेंस शुल्क में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए पुराने परिपत्र सं०-83/डब्ल्यू-2/एल एम/18/87 दिनांक-29/08/95 के अनुसार प्रति वर्ष भूमि मूल्य 10 प्रतिशत की दर से मूल्य बढ़ाकर और नए परिपत्र सं० -2005/एल एम एल/18/8 दिनांक 10.02.2005 के अनुसार प्रति वर्ष भूमि मूल्य 07 प्रतिशत की दर से मूल्य बढ़ाकर नहीं लिया जा रहा है।
- रेलवे बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, लाइसेंस शुल्क की दर हर साल एक अप्रैल से संशोधित की जानी चाहिए लेकिन यह मंडल द्वारा पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क के रूप में बकाया है। इसके कारण रेलवे को राजस्व की हानि हो रही है।

5. छत मरम्मत कार्य में अनियमितता

✍ श्री जनार्दन प्रसाद, मुसतानि/इंजी

एक संयुक्त जाँच के दौरान पाया गया कि धनबाद के एक भवन के छत पर टारफेल्ट लगाया गया है। टारफेल्ट का नमूना आकार 1.50 मी० X 1.00 मी० भवन के छत से एकत्र किया गया तथा इसकी गुणवत्ता जाँच के लिए राष्ट्रीय जाँच प्रयोगशाला, कोलकाता भेजा गया। जाँच के नतीजे से यह पाया गया कि पानी का रिसाव रोकने हेतु जो टारफेल्ट भवन की छत पर बिछाया गया था वह आई एस:1322-1993 में निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करने में खरा नहीं पाया गया।

इस्तेमाल सामग्री गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना जल रिसाव रोकने वाले सामग्री यानि टारफेल्ट को पास किया और मापी पुस्तिका में दर्ज मापी परीक्षण जाँच किया पाया गया।

•

4. Irregularity in realization of License fee :-

✍ **Sri Satish Kumar, CVI/Engg**

- During preventive check conducted in the division, it was observed that realization of license fee from 1990 to 2016 was not being done by increasing land value @ 10% per annum as per old circular issued by Railway Board vide letter No.83/W-2/LM/18/87 dated-29.08.95 and land value @ 7% per annum as per new circular issued by Railway Board vide letter No.2005/LML/18/8 dated-10.02.2005.
- As per Railway Board's circular, rate of license fee should be revised on first of April of every year but it was not being followed by division resulting in outstanding license fee. This has resulted in financial loss to the railways.

5. Irregularity in Roof Treatment

Sri Janardan Prasad, CVI/Engg

During joint check, on the roof of a building tar felt work was found to be done. The sample of Tarfelt of size 1.50mx1.00m approx. was collected from the roof of the building and sent to NTH, Kolkata for testing. From test result, it was found that the Tarfelt used for leak proofing treatment was of inferior quality as it failed to meet the specifications laid down in IS:1322-1993.

The water proofing material i. e. Bitumen felt/Tarfelt was **passed** and also the recorded measurement in MB was test-checked without ensuring the quality of material used.

6. पुल के जैकेटिंग कार्य में अनियमितता :-

✍ श्री विद्यानन्द प्रसाद, मुसतानि/इंजी

- अनुमोदित नक्शा के अनुसार, एबटमेंटो के जैकेटिंग के साथ आरसीसी यू-ट्रफ का कार्य भी करना था। आरसीसी यू-ट्रफ का कार्य मौजूदा बेड स्तर के नीचे नींव के निचले स्तर तक करना था।
- अनुमोदित नक्शा के अनुसार, मौजूदा बेड स्तर को पीएससी स्लैब के निचले स्तर से 4650 मिमी नीचे यानि मौजूदा बेड स्तर के समान ही रखना था। लेकिन इस मामले में आरसीसी यू-ट्रफ को नींव के निचले स्तर तक नहीं किया गया परिणामस्वरूप वर्तमान बेड स्तर मौजूदा बेड स्तर से 670 मिमी उपर उठ गया जो बरसात के दौरान पानी के प्रवाह को बाधित करेगा।
- पुल उप-संरचना और नींव संहिता के पैरा 4.5.9 में कार्य निष्पादन के समय जारी दिशा निर्देश के अनुसार, 6 मीटर पाट वाले पुल के लिए जलमार्ग में प्रतिशत कमी मुख्य पुल अभियंता द्वारा 15.14% ही अनुमोदित किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में जलमार्ग क्षेत्र में प्रतिशत कमी 25.78 % किया गया है जो मुख्य पुल अभियंता के अनुमोदन सीमा के बाहर है। अतः इस पुल के जलमार्ग क्षेत्र में 25.78 % की कमी किया गया है जिसके लिए पुल उप-संरचना और नींव संहिता के अनुसार रेल संरक्षा आयुक्त की मंजूरी की आवश्यकता है।
- अनुमोदित नक्शा के अनुसार, विंग वाल का जैकेटिंग नहीं करना था लेकिन इसे केवल कनीय अभियंता/कार्य द्वारा निर्माण स्थल आदेश पंजी में खींचा गया रेखाचित्र के आधार पर कराया गया है। सक्षम अधिकारी का अनुमोदन नहीं लिया गया है।
- अनुमोदित नक्शा में एक नोट स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि “इस नक्शा में दिखाए गए मौजूदा आयामों को कार्य शुरू होने से पहले संबंधित मंडल अभियंता द्वारा जाँच करना चाहिए। यदि कोई अन्तर पड़ता है तो अनुमोदित नक्शा में आवश्यक परिवर्तन हेतु तुरन्त मुख्यालय/हाजीपुर को सूचित करना चाहिए”। लेकिन सामान्य व्यवस्था नक्शा में दर्शाए गए मौजूदा आयामों और कार्यस्थल पर पाए गए वास्तविक आयामों में अन्तर पाये जाने के बाद भी क्षेत्रस्थ अधिकारी द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।

इस प्रकार जैकेटिंग का कार्य, अनुमोदित नक्शा के अनुपालन के बिना केवल निर्माण स्थल आदेश पंजी में खींचे गए रेखाचित्रों के आधार पर कराया गया है।

6. Irregularity in Jacketing work of Bridge:-

✍ Sri Vidyanand Prasad, CVI/Engg

- As per approved drawing jacketing of abutments with RCC U-truff was to be done. RCC U-truff was to be done below existing bed level and up to bottom of the foundation.
- As per approved drawing, bed level was to be kept 4650mm below the bottom of PSC slab i.e same as the existing bed level, but in this case, RCC U-truff was not done till the bottom of the foundation resulting in bed level being raised by 670 mm from existing bed level which will obstruct the flow of water during monsoon.
- As per guidelines in force, at the time of execution, vide para-4.5.9 of Bridge Sub-structure & Foundation Code, for the bridge of span 6.0m, the limit of %age reduction in water way area allowed by Chief Bridge Engineer is 15.14%. But in this case percentage reduction in water way area was found to be 25.78%, which is beyond the limit of Chief Bridge Engineer approval. Hence, 25.78% reduction in water way area had been done in this bridge, which needed sanction of CRS as per Bridge sub structure and foundation code..
- As per approved drawing the jacketing of wing walls was not to be done but it was also done on the basis of sketch drawn in site order book by JE/W. Approval of competent authority was not taken.
- A note is clearly, mentioned in approved drawing that “Existing details shown in this drawing should be checked by Sectional DEN before start of the work. If found any difference immediately inform to HQ/HJP for necessary alteration in the drawing” but this instruction was not followed by field officials even after actual dimensions at site were found to be different from the dimensions shown in GAD.

Thus the jacketing work was executed without following the approved drawing, only on the basis of the sketches drawn in the site order book

7. नए पुलों के निर्माण में अनियमितताएँ

✍ संजय प्रसाद सिंह, मुसतानि/इंजी

पुल संख्या ए (3X18.3 मी० प्लेट गर्डर) तथा पुल संख्या बी (2X18.3 मी० प्लेट गर्डर) के सबस्टक्चर एवम नींव के कार्य की संयुक्त जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई थीं:—

- दोनों पुलों के पिलर्स के पाइल कैप का स्टील अनेक जगहों पर निकला हुआ दिख रहा था और स्टील में जंग लगा हुआ था।
- दोनों पुलों के पिलर्स के पाइल कैप में कंक्रीट की कमी अनेक स्थानों पर पाई गई थी।
- दोनों पुलों के पिलर्स के पाइल्स पूरी तरह से पाइल कैप के भीतर नहीं थे।
- दोनों पुलों का निर्माण संरचनात्मक नक्शा की मंजूरी के बिना किया गया था।
- पाइल का अखण्डता तथा रिबाण्ड हैमर परीक्षण गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए किया गया था। परीक्षण के परिणाम के अनुसार :—
 - पाइल की लम्बाई 4 से 16 मीटर के बीच पाई गई।
 - पाइल का संपीडक शक्ति (कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ) 1.72 से 18.72 एमपीए के बीच पाया गया।
 - पुल संख्या ए और बी के स्टील रजिस्टर अनुसार पाइल्स की लम्बाई 25 मी० या 19 मी० है। लेकिन आईआईटी/पटना द्वारा पाइल्स की अखण्डता और गहराई की परीक्षण के अनुसार पुल संख्या ए और बी की पाइल की लम्बाई उसके निर्माण से कम है।
 - क्यूब परीक्षण रजिस्टर तथा अनुमोदित सामान्य व्यवस्था नक्शा, पुल संख्या ए एवं बी के अनुसार, पाइल्स का निर्माण ग्रेड एम-30 (मिक्स डिजाइन) में होना था। लेकिन रिबांड हैमर निरीक्षण के अनुसार, पाइल का संपीडक शक्ति निर्धारित से कम है। कोडल प्रवाधान के अनुसार 30 ± 7.5 एमपीए है।

7. Irregularities in construction of new bridges :-

✍ **Sanjay Prasad Singh, CVI/Engg**

During joint check of the work for construction of substructure and foundation of Br.No.A having span (3x18.3m Plate girder) and Br.No.B having span (2x18.3m Plate girder), the following irregularities were found:- .

- The reinforcement in pile cap of piers of both bridges were exposed at several locations and reinforcement was found rusted.
- Loss of concrete in pile cap of piers of both bridges was found at several locations.
- There was gap between piles and pile caps of piers of both bridges i.e. piles were not completely embedded in pile caps .
- Both bridges were constructed without approval of structural drawing.
- Pile integrity test & Rebound hammer test was got done by IIT/Patna to ascertain the quality of construction. As per results obtained :-
 - The length of piles found to vary between 4 to 16m.
 - The compressive strength of piles found to vary between 1.72 to 18.72 Mpa.
 - As per reinforcement register of Br.no.A &B, Depth of constructed piles were either 25m or 19m. But as per report of pile integrity and depth analysis at Br. No. A & B done by IIT/Patna, Depth of all piles are found less.
 - As per cube testing register and approved GAD of Br.no. A & B, piles were to be constructed in grade-M-30(Mix design). But as per report of rebound hammer test of piles , Compressive strength of concrete in piles was found much less than that permitted as per codal provision, i.e 30 ± 7.5 Mpa.

8. पीवीसी पानी की टंकी की गुणवत्ता में अनियमितता

✍ संजय प्रसाद सिंह, मुसतानि/इंजी

कालोनी के स्टाफ क्वार्टर में अलग-अलग पीवीसी टैंक के प्रावधान कार्य की संयुक्त जाँच के दौरान, निम्नलिखित विवरण पाए गए थे :-

- (i) क्वार्टर में 500 लीटर क्षमता का पीवीसी टैंक कार्यात्मक स्थिति में पाए गए थे।
- (ii) प्रत्येक पीवीसी टैंक के बाहरी सतह पर सुपरकॉन चिन्ह देखा गया था और आईएसआई चिन्ह नहीं देखा गया था।
- खाली पीवीसी टैंक का वजन सुनिश्चित करने के लिए क्वार्टर से खाली पीवीसी टैंक निकालकर, वजन लिया गया। जिसका वजन 11.5 किलोग्राम पाया गया।
- इंजीनियरिंग विभाग के एकीकृत मानक विशिष्टता-2010 के पारा 13.22.4 के तालिका संख्या 13.19 के अनुसार, 500 लीटर क्षमता वाला पीवीसी टैंक का वजन 18 किलोग्राम तथा दिवार का न्यूनतम मोटाई 06 मीमी होना चाहिए।
- दर-अनुसूची (एसओआर-2012, आइटम संख्या 136150) के अनुसार पीवीसी जल भंडारण टैंक पर आईएसआई-12701 चिह्नित होना चाहिए। लेकिन सुपरकॉन के पीवीसी टैंक पर कोई आईएसआई चिन्ह नहीं देखा गया था।
- अतः विनिर्देश के अनुसार निम्न गुणवत्ता वाले पीवीसी टैंक का उपयोग पाया गया।

**“सबसे अच्छा मनुष्य वह है,
जो अपनी प्रगति के लिए
सबसे अधिक श्रम करता है।”**

— सुकरात —

8. Irregularity in quality of PVC water tank.

 **Sanjay Prasad Singh, CVI/Engg**

During joint check of the work of provision of individual PVC tank over staff quarters in a Division, the following details were found:- .

- (i) PVC tank of 500 lit capacity was found in functional condition in the quarters.
- (ii) On outer face of each PVC tank SUPERCON mark was seen but no ISI mark was seen.
- For ensuring weight of empty PVC tank, one no. empty PVC tank from quarter was released & weight was taken and found to be 11.5 kg.
- As per Unified Standard Specification of Engineering Department 2010 Para-13.22.4 at Table 13.19, weight of one 500 lit capacity of PVC tank should be 18.0 Kg and minimum thickness of wall should be 06 mm.
- As per schedule (SOR-2012 item No.136150), polyethylene water storage tank should be ISI: 12701 marked but no ISI mark was seen on PVC tank of SUPERCON.
- Thus substandard quality PVC tank was found to have been used.

**"People in their natural state are
basically good. But this natural
innocence, however, is corrupted
by the evils of society."**

— Jean-Jacques Rousseau —

भंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा

**1. बहुरूपिये की सीएमपी (अनुबंध चिकित्सा प्रैक्टिशनर)
के रूप में नियुक्ति**

✍ विकास कुमार, मुसतानि/भंडार

एक निवारक जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि 'क' के नाम से फील्ड यूनिट में तैनात एक सीएमपी (अनुबंध चिकित्सा प्रैक्टिशनर) नकली है जिसने धोखाधड़ी करके अनुबंध प्राप्त की है। अनुसंधान के दौरान 'क' को अनुबंधित करने में विभिन्न कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएँ किया जाना पाया गया :—

- (i) साक्षात्कार के समय उम्मीदवार 'क' से प्रमाणपत्रों और तस्वीरों की फोटोकॉपी बिना स्वअभिप्रमाणित कराए स्वीकार की गई। उम्मीदवार ने राज्य चिकित्सा परिषद में अपने पंजीकरण की मूल प्रति भी प्रस्तुत नहीं की थी, परन्तु इसे भी साक्षात्कार के समय अनदेखा किया गया। उपरोक्त कृत्य अनुबंध की अधिसूचना के प्रावधानों के खिलाफ है जो साक्षात्कार के बाद उम्मीदवारों के चयन में हेराफेरी का अवसर प्रदान करते हैं। हालाँकि जिस कार्यालयी को उम्मीदवारों के आवेदन की जाँच के लिए नियुक्त किया गया था उसने दूसरे उम्मीदवारों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण—पत्रों एवं स्वहस्ताक्षरित तस्वीरों को जमा कराया जाना सुनिश्चित किया था। इसके अतिरिक्त, साक्षात्कार के समय 'क' का हस्ताक्षर उसके द्वारा जमा किए गए राज्य मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र पर दर्ज हस्ताक्षर से मेल खाता नहीं पाया गया, परन्तु इस तथ्य को भी अनदेखा किया गया। उम्मीदवार द्वारा मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें साक्षात्कार की अनुमति देने में भी एकरूपता नहीं बरती गई। मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर एक उम्मीदवार को साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी गई जबकि दो दूसरे उम्मीदवारों से यह वचन लेकर साक्षात्कार में बैठने की अनुमति दी गयी कि वे 07 से 10 दिनों के अन्दर मूल प्रमाण पत्रों को निश्चित रूप से प्रस्तुत कर देंगे। उम्मीदवार 'क' ने भी एक प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं किया था, परन्तु उसे भी साक्षात्कार में बैठने की अनुमति दी गयी जबकि उसने भविष्य में मूल प्रमाण पत्र जमा करने से संबंधित वचन भी नहीं दिया था। हालाँकि अधिसूचना में मूल प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के बाद जमा करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। मामले में चयनात्मक या अन्य विभिन्न निर्णय भी इसी तरह लिए हुए पाए गए।

STORES, MEDICAL & SECURITY

1. Engagement of an imposter as CMP (Contract Medical Practitioner).

 **Vikash Kumar, CVI/S**

During a preventive check, it came up that a CMP (Contract Medical Practitioner) posted at field unit in the name of candidate 'A' is a fake one who got the job by committing fraud. During investigation of the case, following irregularities have been found to be committed in the engagement of 'A' as CMP:-

- (i) At the time of interview, photocopies of certificates and photographs were accepted without getting them self attested by the relevant candidate. Moreover, the candidate had not produced original certificate towards his registration at State Medical Council. These are against the provisions of the notification which provided scope for subsequent manipulation. The official who was assigned for scrutiny of application of candidates had ensured submission of self attested photocopies of certificates and photographs in other cases checked by him. In the event of non-submission of original certificate(s) by the candidate, act of the official concerned towards allowing him in the interview was not consistent. For non-submission of original certificate(s), one candidate was not allowed in the interview whereas two other candidates were allowed by getting undertaking from them that they would produce original certificates within 07 to 10 days. However, no such undertaking was taken from the candidate 'A' during allowing him in the interview. It is worth mentioning here that signature and address of candidate 'A' was different on the photocopy of his registration at State Medical Council vis-a-vis that on other documents submitted by him at the time of interview. No such criteria of subsequent submission of original certificates was mentioned in the notification. Moreover, inconsistency in actions/decision making is quite evident from the above act as similar scenario was dealt with selective/different decisions.

- (ii) बहुरूपिये 'क' ने अनुबंध से संबंधित कार्यालय आदेश की प्रतियों पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर किया और उनपर अपनी उन तस्वीरों को चिपकाया जो उसके द्वारा प्रमाणित नहीं थे। इन्हें बिना आपत्ति के एवं बिना असलियत जाँचे स्वीकार किया गया। इस दौरान इस तथ्य को भी अनदेखा किया गया कि अधिसूचना के अनुसार तस्वीरों का स्वअभिप्रमाणित होना अनिवार्य था और बहुरूपिये का हस्ताक्षर राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी उपरोक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता था।
- (iii) कार्यालय आदेश के अनुसार संबंधित मंडलीय अस्पताल इकाई द्वारा रेल प्रशासन और उम्मीदवार 'क' के बीच अनुबंध समझौते का निष्पादन होना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालाँकि, कुछ अन्य मामलों में अनुबंध समझौतों का निष्पादन किया तो गया परंतु इस दौरान उम्मीदवारों से दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित चरित्र एवं पूर्ववर्ती प्रमाण पत्र निरंतर रूप से नहीं लिए गए और न ही इस दौरान उनके जन्म और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ देखीं गईं जो रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देश का उल्लंघन है। इन मामलों में संबंधित मंडलीय अस्पताल इकाई द्वारा अनुबंध समझौते भी मण्डल कार्मिक कार्यालय द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद किए गए, जो उचित नहीं है। यदि समय पर उम्मीदवार 'क' के साथ अनुबंध समझौता किया जाता एवं उस दौरान उसके मूल प्रमाणपत्रों की जाँच की जाती तो उसी समय उम्मीदवार की असलियत सामने आ जाती। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मण्डल कार्मिक कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पर ना तो उम्मीदवार की तस्वीर चिपकाई गई और ना ही उसके हस्ताक्षर का नमूना लिया गया।
- (iv) बहुरूपिये 'क' के द्वारा फील्ड यूनिट में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवेदन करने पर उसकी वास्तविकता जाँचे बगैर फील्ड इकाई प्रभारी ने उसे कार्यभार सौंप दिया। यहाँ इस तथ्य की अनदेखी की गई कि बहुरूपिये के आवेदन पर दर्ज हस्ताक्षर अनुबंध के लिए जारी कार्यालय आदेश पर उसके द्वारा दर्ज किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता था।

यह मामला वर्तमान में जाँच के अधीन है।

- (ii) On the copies of engagement letter, the candidate 'A' had put his signatures in block letters and had affixed photographs which were not self attested by him. Without raising objection and without verifying genuineness of the same, these were accepted ignoring the fact that self attested photographs were mandatory as per the notification and signature of the candidate was different on the photocopy of his registration at State Medical Council.
- (iii) As per the engagement letter, concerned divisional hospital unit had to execute contract agreement between Railway Administration & CMP but the same was not concluded whereas in some other cases, the same was found to be concluded. As per Rly Bd's guideline, CMPs had to produce certificates of his/her character and antecedents from two gazetted officers and original certificates for proof of his/her date of birth and educational qualifications at the time of entering into contract but the same was consistently not ensured by the official concerned of the divisional hospital unit in the above case or others. Moreover, contract agreements in these cases were entered into after posting order issued by the office of personnel branch of the division. Had the process for entering into contract agreement with candidate 'A' initiated and his original certificates been checked during that, genuineness of the candidate at that stage too might have probably been detected. Further, while issuing such posting orders, again neither photograph of candidate was affixed nor his specimen signature was taken.
- (iv) The candidate 'A' reported in the field unit for joining but without identifying his genuineness, his candidature was accepted by the field office in-charge who allowed him to join as CMP ignoring the fact that signature of candidate on his application for joining was not same as that made on the engagement letter.

The case is under investigation at present.

2. एक मंडल अस्पताल इकाई द्वारा दवाइयों की स्थानीय खरीद में अनियमितताएँ।

✍ **विकास कुमार, मुसतानि/भंडार**

एक मंडल अस्पताल इकाई में निवारक जाँच के दौरान दवाइयों की स्थानीय खरीद में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:-

- (i) दवाइयों की स्थानीय खरीद के प्रस्ताव में दवाओं के अनुमानित दर और कुल मूल्य नहीं दर्शाये गए। इस प्रकार, दवाओं की स्थानीय स्तर पर खरीद शुरू करने के समय यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि दवाओं की यह इस निमित्त प्रदत्त स्थानीय खरीद शक्ति एक लाख प्रति केस के अन्तर्गत थी अथवा नहीं।
- (ii) खरीद प्रक्रिया आरम्भ करते समय दवाओं का पर्याप्त स्टॉक इकाई में उपलब्ध था, लेकिन इस पहलू को खरीद के प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया।
- (iii) फर्मों को निविदा प्रपत्र जारी करने हेतु अनुमोदन देने के दौरान फर्म 'क' जिसने मुख्यालय के क्रयादेश के आलोक में समान दवा इकाई को पिछली बार आपूर्ति किया था, को अनदेखा किया गया। दूसरी तरफ फर्म 'ख' को अनुमोदन के बावजूद भी निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया गया। इसके अलावा, फर्मों को निविदा प्रपत्र जारी करने के दौरान इनकी पावती इस प्रकार से ली गई कि सभी संभावित फर्म निविदा खुलने से पहले एक दूसरे से परिचित हो सकें। यह तरीका सही नहीं है क्योंकि यह कार्टेल गठन का कारण बन सकता है।
- (iv) बगैर तकनीकी उपयुक्तता और दर तर्कसंगतता प्रमाणित किए, फर्म 'ग' को क्रयादेश जारी किया गया और वह भी पिछले क्रय से 339 प्रतिशत अधिक दर पर। पिछला क्रय नौ माह पूर्व मुख्यालय द्वारा फर्म 'क' से किया गया था। यदि स्थानीय उपलब्ध फर्म 'क' को भी निविदा प्रपत्र जारी करने हेतु चुना जाता तो इतने उच्च दर पर दवाओं की खरीद से बचा जा सकता था।

यह मामला वर्तमान में जाँच के अधीन है।

2. Irregularities in local purchase of medicines by a divisional hospital

 **Vikash Kumar, CVI/S**

During a preventive check in a divisional hospital unit on the aspect of local purchase of medicines by them, following irregularities have been noted:-

- (i) In the proposal for procurement of medicines, estimated rate & value of the drugs was not furnished. Moreover, at the time of initiating procurement through local purchase, it was not ascertained whether procurement of the drugs was within the competency of the prevalent local purchase power of Rs. 1,00,000.00 per case or not.
- (ii) At the time of local purchase, sufficient stock of drugs was available in the unit. But this aspect was not deliberated in the proposal for procurement.
- (iii) While according approval for issuing tender enquiries to the firms, the firm 'A' who had supplied the same drug in the unit last time in reference to HQ's PO was ignored for issuing tender enquiry to them. On the other hand, the tender enquiry was not given to firm 'B', despite approval. Moreover, while delivering the tender enquiries to other firms, the acknowledgement was taken in a manner to facilitate all likely firms to be conversant with each other prior to the tender opening. This practice is not correct as it may cause cartel formation.
- (iv) Without making comment on technical suitability & rate reasonability, ordering was done on firm 'C' at the rate higher by 339% than the nine months old LPR of HQ which was issued on firm 'A'. Had the locally available firm 'A' been considered for calling of quotation, procurement of drugs at much higher rate would have been prevented.

The case is under investigation at present.

3. नियुक्ति में चिकित्सा मानकों की अवहेलना :-

✍ प्रेम कुमार, मुस्तानि/चिकित्सा

एक निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि “क” पद के लिए अभ्यर्थियों का आरआरबी मांगपत्र ए-3 कोटि के आवश्यक चिकित्सा मानक के साथ तैयार किया गया था। तदनुसार, अधिसूचना आरआरबी द्वारा ए-3 के लिए आवश्यक चिकित्सा मानक के साथ प्रकाशित किया गया था, जिसके विरुद्ध चयनित 08 उम्मीदवारों का एक पैनल इकाई “X” को प्राप्त हुआ था। 08 उम्मीदवारों में से 07 उम्मीदवारों को विभिन्न मंडलों/इकाइयों के लिए आवंटित किया हुआ पाया गया था, जबकि एक उम्मीदवार को इकाई “X” नियंत्रित पद हेतु आवंटित किया गया था उसके मामले में मेडिकल मेमो जारी करने में भिन्नता पायी गयी थी। उल्लेखनीय है कि 07 अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल मेमो ए-3 कोटि में फिटनेस टेस्ट के लिए जारी किया गया था, जबकि इकाई “X” द्वारा उसी पद के अभ्यर्थी के लिये मेडिकल मेमो ए-1 एवं निम्न श्रेणी हेतु फिटनेस परीक्षण के लिए जारी किया हुआ पाया गया। इसके अलावा सभी 07 अभ्यर्थी ए-3 में फिट पाए गए थे और उन्हें नियुक्त किया गया था, जबकि मुख्यालय नियंत्रित समान पद के लिए अभ्यर्थी को बी-2 एवं निम्न श्रेणी में फिट पाए जाने के बावजूद उक्त पद पर नियुक्त किया हुआ पाया गया जो आरआरबी द्वारा जारी अधिसूचना के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है। यह मामला वर्तमान में जाँच के अधीन है।

**“मद मनुष्य की वो स्थिति या दिशा है,
जिसमें वह अपने ‘मूल कर्तव्य’ से भटक कर
‘विनाश’ की ओर चला जाता है।”**

— स्वामी दयानन्द सरस्वती —

3. Non-adherence of medical standards in appointment

 **Prem Kumar/CVI/Medical**

During a preventive check, it was found that the RRB requisition of candidates for the post of "A" was prepared with the required medical standard of A3 category. Accordingly, the notification was published by RRB with the required medical standard for A3 against which a panel of 08 nos of selected candidates was received at unit "X". 7 candidates out of these 08 candidates were found to be allotted for different divisions/units whereas one candidate was allotted for the post under control of the unit "X". A deviation in issuing medical memo in his case was found. It is worth mentioning that for the 07 candidates, medical memos were issued for a fitness test in the A3 category whereas for the candidate in unit "X" for the same post, medical memo was issued as A-1 and below category. Apart from this, all 07 candidates were found fit in the A-3 and were appointed. However, despite the fact that the candidate who was in the unit "X" for the same post was found fit in B-2 and below, he was considered & appointed to the said post which is a violation of the terms and conditions of the notifications issued by the RRB. The case is under investigation at present.

**"To confront criminals, we need to finish
with corruption. If we don't do this,
there is no hope ."**

— Andress Manuel Lopez Obrador—

4. रेसुब के मंडल कार्यालयों में एन0आई0पी0 के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ।

✍ इमरान आज़ाद, मुसतानि/सुरक्षा

पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेसुब मंडल कार्यालयों में एन.आई.पी. के कार्यान्वयन के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान निम्न अनियमितताएँ पाई गईं:—

- (i) मण्डल 'ए' में एन.आई.पी. के कार्यान्वयन के बिन्दु पर जाँच के क्रम में पाया गया कि दीर्घ शास्ति दंड के एक मामले में बल सदस्य को दि0 31. 03.17 को Stoppage of next increment for 03 Years with CE का सजा अवार्ड किया गया जिसे जुलाई 2017 में लागू किया जाना था, परन्तु जुलाई 2017 में next increment नहीं रोका गया।
- (ii) मण्डल 'ए' में ही 03 मामले ऐसे भी पाए गए जिनमें तीनों कर्मियों के संबंध में Retd. in Feb 17, Retired before Jul. 17 तथा VR in Feb 17 का कारण अंकित करते हुए सजा लागू नहीं किया जाना पाया गया जो एक गम्भीर मामला है।
- (iii) मण्डल 'ए' में ही 01 मामला ऐसा भी पाया गया जिनमें एक ही कर्मचारी के विरुद्ध जारी तीन (03) लघु शास्ति दण्ड के आरोप पत्रों में Stoppage of Next increment क्रमशः 01 वर्ष तथा 06—06 माह (सभी NCE) से दण्डित किया गया। जिसमें से प्रथम तथा दूसरे मामले में सजा जुलाई 2016 में लागू किया जाना था जिसे लागू नहीं किया गया केवल तीसरे मामले में सजा लागू किया जाना पाया गया।
- (iv) मण्डल 'ए' में ही CENSURE के 20 मामले में से 18 मामले के दंडात्मक आदेश के सारांश संबंधित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में अंकित पाई गई परन्तु 02 मामलों के दंडात्मक आदेश के सारांश संबंधित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में अंकित नहीं किया जाना पाया गया।
- (v) मण्डल 'ए' में ही 01 मामले में सजा लागू किया जाना तो पाया गया परन्तु SR उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि सजा का इंदराज सेवा पुस्तिका में किया गया है या नहीं।
- (vi) मण्डल 'बी' में 03 मामले ऐसे पाए गए जिनमें दंडात्मक आदेश के सारांश संबंधित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में अंकित तो पाई गई, परन्तु कुछ मामलों में अपील/रिवीजन के परिणामों को अंकित करने के उपरान्त सक्षम कार्यालयी के हस्ताक्षर नहीं लिए गए।

उक्त पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सतर्कता विभाग द्वारा मुख्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखा गया है।

5. रे0सु0बल कर्मियों के अन्तरमण्डलीय स्थानांतरण पर उनकी सेवा पुस्तिका समय से नहीं भेजा जाना

✍ इमरान आज़ाद, मुसतानि/सुरक्षा

पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेसुब मंडल कार्यालयों में रे0सु0बल कर्मियों के अन्तरमण्डलीय स्थानांतरण पर उनकी सेवा पुस्तिका के भेजने के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान निम्न कमियाँ पाई गईं:—

- (i) मंडल 'ए' के 04 मामले ऐसे पाए गए जिनमें next increment रोके जाने की सजा अवार्ड की गई थी, सजा का इंदराज सेवा पुस्तिका में किया गया है या नहीं, के बिन्दु पर जाँच हेतु कई अनुस्मारक के बावजूद सतर्कता दल को सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया।
- (ii) मंडल 'बी' में एक निरीक्षक को दिनांक 08.04.2017 को CENSURE की सजा अवार्ड की गई परन्तु मंडल 'एक्स' जहाँ से वे दिनांक 16.03.16 के बल आदेश के आलोक में स्थानांतरित होकर आए हैं, की सेवा पुस्तिका मंडल 'बी' को उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण उनको अवार्ड किए गए सजा को सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं किया जा सका है।
- (iii) इसी प्रकार मंडल 'सी' में एक कर्मी को दिनांक 31.05.17 को एक वर्ष की वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से बन्द की सजा अवार्ड की गई परन्तु मण्डल 'बी' जहाँ से वे स्थानांतरित होकर आए हैं, की सेवापुस्तिका मण्डल 'सी' को उपलब्ध नहीं कराई गई है जिस कारण उनको अवार्ड किए गए सजा को सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं किया जा सका है।
उक्त पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सतर्कता विभाग द्वारा मुख्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखा गया है।

**“पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से
हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच
पुल का निर्माण कर सकते हैं।”**

— सर्वपल्ली राधाकृष्णन —

6. सिक अवधि विस्तार के दौरान अंतरिम सिक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना।

✍ इमरान आज़ाद, मुसतानि/सुरक्षा

मंडल 'ए0' के एक स्वास्थ्य केन्द्र में रेलवे कर्मचारियों के सिक/फिट से संबंधित निवारक जाँच के क्रम में निम्न तथ्य प्रकाश में आए –

- (i) जून 2017 से सितम्बर 2017 के बीच 06 कर्मियों को सिक अवधि विस्तार दिया गया था।
- (ii) उपरोक्त अवधि विस्तार के दौरान किसी भी कर्मचारी के पक्ष में अंतरिम सिक प्रमाण पत्र जारी किया हुआ नहीं पाया गया।
- (iii) अंतरिम सिक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना मेडिकल मैनुअल के पारा 539 का उल्लंघन है।

मेडिकल मैनुअल के पारा 539 के अनुपालन (सिक अवधि विस्तार के दौरान अंतरिम सिक प्रमाण पत्र जारी करने) को सुनिश्चित कराने हेतु सतर्कता विभाग द्वारा प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक को लिखा गया जिनके द्वारा अपने अधिनस्थों को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।

7. स्कैप सामग्री के लेखाकरण एवं निष्पादन में अनियमितता

✍ प्रमोद यादव, मुसतानि/भंडार

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में इंजीनियरिंग स्टोर में स्कैप सामग्री के लेखाकरण एवं निष्पादन के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि इंजीनियरिंग कोड के पैरा 1417 के अनुसार खंड अभियंता के द्वारा मासिक रिटर्न प्रत्येक माह नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण भारी मात्रा में बिना लेखाकरण की सामग्री पायी गयी। अतः सभी खंड अभियंताओं को प्रशासनिक कार्रवाई (डीएआर के तहत) करने की अनुशंसा की गयी है।

इसके अलावा यह भी पाया गया कि मासिक रिटर्न खंड अभियंता के स्थान पर प्रभारी के द्वारा बनाया जा रहा है, जो इंजीनियरिंग कोड के पैरा 1417 के अनुकूल नहीं है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग कोड के पैरा 1414 के अनुसार प्रत्येक खंड अभियंता के द्वारा लेजर मेन्टेन किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी खंड अभियंताओं के द्वारा लेजर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।

अतः इस तथ्य को प्रधान मुख्य इंजीनियर हाजीपुर के संज्ञान में लाया गया है।

8. रिलिज्ड सामग्रियों के रख-रखाव में एकरूपता का अभाव

✍ महादेव कुमार मंडल, मुसतानि/भंडार

- पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में विभिन्न सिग्नल स्टोरों के द्वारा प्राप्त रिलिज्ड सामग्री के रख-रखाव से संबंधित पहलू पर निवारक जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ फील्ड यूनिटों के द्वारा रिलिज्ड सामग्री के रख-रखाव से संबंधित कोई दस्तावेज मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।
- इसके अलावा यह भी पाया गया कि कुछ फील्ड यूनिटों के द्वारा केवल लेजर ही मेन्टेन की जा रही है एवं कुछ के द्वारा केवल डीएमटीआर ही मेन्टेन की जा रही है।

यह अनियमितता रेल सामग्रियों के गबन में सहायक कारक हो सकती है। जबकि पूर्व में सतर्कता विभाग के द्वारा प्रणाली सुधार पत्र सं० ईसीआर/विज०/पद्धति सुधार/50 दिनांक 09.10.15 के माध्यम से मुख्य संचार एवं दूरसंचार अभियंता/हाजीपुर को फील्ड यूनिट के अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा भंडार सामग्रियों के संचालन हेतु अभिलेखों के अनुरक्षण में एकरूपता लाने हेतु पत्र जारी किया जा चुका है।

अतः इसका सुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर/हाजीपुर को पत्र लिखा गया है।

**“लोग तुम्हारी स्तुति करें या निन्दा,
लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो,
तुम्हारा देहान्त आज हो या एक युग में,
तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट न हो।”**

— स्वामी विवेकानंद —

संकेत एवं दूरसंचार, विद्युत, यांत्रिक

1. हस्ताक्षरित LOA जारी करने में अनियमितताएं

✍ **अविनाश कुमार**, मुसतानि (सं. एवं दूर.)

एक परिवाद के जाँच के दौरान, हस्ताक्षरित LOA जारी करने के मामले में विसंगतियाँ देखी गई हैं। विसंगतियाँ निम्नानुसार हैं :-

- मामले में हस्ताक्षरित LOA जारी करने में 30 दिनों की देरी हुई, जिससे न केवल कार्य निष्पादन में देरी हुई, बल्कि संबंधित कार्यालयी के नीयत पर भी सवाल उठता है।
- हस्ताक्षरित LOA को न तो ई-मेल किया गया और न ही फर्म को निबंधित डाक द्वारा भेजा गया।
- LOA निर्गत नहीं करना संबंधित कार्यालयी के गलत मंशा को दर्शाता है।
- मामला जाँच के अधीन है।

2. अनुबंधों के निष्पादन में अनियमितताएं

✍ **एस. एस. प्रसाद**, मुसतानि (सं. एवं दूर.)

निवारक जाँच के दौरान, कार्य अनुबंध के निष्पादन के मामले में विसंगतियों को देखा गया है। विसंगतियाँ निम्नानुसार हैं :-

- (i) मुख्य सिग्नल के लिए नींव कास्टिंग और कंक्रीटिंग एमबी में दर्ज से कम पाया गया।
- (ii) डीजी सेट कंपन मुक्त नींव जो डीजी को काम करने के लिए आवश्यक है, के बिना स्थापित किए गए थे।
- (iii) एमबी में अधिकांश वस्तुओं के लिए विशिष्ट स्थानों का उल्लेख नहीं किया गया था।
- (iv) ओएफसी के लिए पहाड़ी क्षेत्र में निर्धारित ट्रेविंग का पालन नहीं किया गया था।
- (v) मामला जाँच के अधीन है।

S & T, Electrical, Mechanical,

1. Irregularities in issuing of signed LOA.

✍ **Avinash Kumar**, CVI/S&T

During investigation of a complaint case, anomalies have been observed in issuing of signed LOA. The anomalies are as mentioned below :-

- The issuance of signed LOA was delayed for 30 days which not only delayed the execution of work but also questions the intent of concerned official.
- Signed LOA was neither E-mail nor sent through registered post to the firm.
- It appears that LOA was kept for ulterior motives after signature.
- The case is under investigation.

2. Irregularities in execution of contracts

✍ **S. S. Prasad**, CVI/S&T

During investigation of a preventive check, anomalies have been observed in execution of works contract. The anomalies are as mentioned below:-

- (i) Casting, concreting and curing of foundation for main signal were found less than that of recorded in MB.
- (ii) D.G. Sets were installed without vibration free foundation which is essential for reducing D.G. set vibration & noise transmission to the surrounding structure.
- (iii) Specific locations for most of items were not mentioned in MB.
- (iv) Stipulated trenching in hilly area for OFC was not adhered.
- (v) Case is under investigation.

3. करार समाप्त करने में अनियमितताएं

✎ एस एस प्रसाद, मुसतानि (सं. एवं दू.)

निवारक जाँच के दौरान, करार समाप्त करने के मामले में विसंगतियों को देखा गया है। विसंगतिया निम्नानुसार हैं:—

- (i) वैध विस्तार से 4 साल बीतने के बाद करार को 07 दिन और 48 घंटे के सूचना जारी किए बिना समाप्त कर दिया गया था।
- (ii) सामग्री, किसी भी प्राधिकार के बिना, अनुबंध की वैध विस्तार अवधि के बाद जारी की गई थी।
- (iii) फर्म को दूसरे विस्तार पत्र भेजने से संबंधित कार्यालय में कोई दस्तावेज प्रमाण पत्र नहीं था।

प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया तथा संबंधित कर्मचारी D&AR के अधीन है।

4. रेलवे क्वार्टर से विद्युत शुल्क की वसूली में अनियमितताएं

✎ राजीव कुमार, मुसतानि (विद्युत)

शिकायत मामले की जाँच के दौरान, रेलवे क्वार्टर से बिजली शुल्कों की वसूली के मामले में विसंगतिया पाई गई। विसंगतिया निम्नानुसार हैं: —

- (i) लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी रेलवे के कुछ क्वार्टर का मीटर रीडिंग रिकॉर्ड नहीं किया गया है। विद्युत शुल्क छः महीना के अन्तराल पर तैयार किया जाता पाया गया।
- (ii) संबंधित कर्मचारी के वेतन से बकाया विद्युत शुल्क कटौती करने का निर्देश दिया गया है।
- (iii) मीटर रीडर D&AR के अधीन है।

3. Irregularities in termination of contract.

✍ **S. S. Prasad, CVI/S&T**

During investigation of preventive check, anomalies have been observed in terminating the contract. The anomalies are mentioned below:-

- (i) Contract was terminated without issuing 07 days and 48 hours notice after elapsing 04 years from valid extension.
- (ii) The material was issued after the valid extension period of the contract without any authority.
- (iii) There was no documentary proof for dispatching 2nd extension letter to the firm.

SIL issued and official is under D&AR.

4. Irregularities in recovery of Electricity charges for Rly. Quarters

✍ **Rajiv Kumar, CVI/Elect.**

During investigation of complaint case, anomalies have been observed in recovery of electricity charges for Rly. Quarters. The anomalies are as mentioned below:-

- (i) Electricity charges have been prepared at the interval of six month, in the instant case meter reading was not taken of some of Rly. Quarters even after elapsing of 02 years (approx).
- (ii) It is advised to recover due electricity charges from salary of concern official
- (iii) Meter reader is under D&AR.

5. ग्रुप सी (जेई/टीआरएस/विद्युत) पद के विभागीय परीक्षा में अनियमितता

✍ अशोक कुमार, मुसतानि (विद्युत)

- 25% एलडीसीई कोटा, ग्रेड पे. – 4200 (लेवल-6) कनीय इंजीनियर (टीआरएस/विद्युत) पद के लिए चयन से संबंधित निवारक जाँच किया गया।
- भारतीय रेल स्थापना नियम 2009 के पैरा सं. (1) के क्रम संख्या 142 के आधार पर टीआरएस/विद्युत में कार्यरत कर्मचारियों से विकल्प माँगा गया।
- अधिसूचना के तहत, कनीय इंजीनियर/टीआरएस/विद्युत के चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए 34 उम्मीदवार योग्य पाए गए।
- लिखित परीक्षा में कुल 34 उम्मीदवारों में से 32 उम्मीदवारों ने भाग लिया।
- मूल्यांकनकर्ता द्वारा सभी 32 उम्मीदवारों का उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। 32 उम्मीदवारों में से 02 उम्मीदवारों ने शत-प्रतिशत तथा 02 उम्मीदवारों ने 80%-90% अंक प्राप्त किये।

इस मामले की जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:-

- (i) मूल्यांकनकर्ता ने कुछ उम्मीदवार के विषयगत प्रश्न के लिए दो बार अंक बदले।
- (ii) उपरोक्त बदलाव के कारण दो उम्मीदवार 100 % अंक प्राप्त किये।
- (iii) न्यूनतम तथा उच्चतम अंक में काफी अधिक अंतर होने के कारण अधिकारी द्वारा चयन को निरस्त किया गया।
- (iv) मामला जाँच के अधीन है।

5. Irregularity in departmental exam for post of Group' C' (JE/TRS/ ELECTRICAL)

 **Ashok Kumar, CVI/Elect.**

- A preventive check was conducted in connection with selection for the post of JE/TRS/Elect, 25% LDCE quota, GP-4200(Level-6).
- An option has been called from staff working in Elect/ TRS as per para (1) of Sr. No. 142 of IR Establishment Rule 2009.
- In response to notification, 34 candidates found eligible for written exam for selection for the post of JE /TRS/Elect.
- Out of 34 candidates, 32 candidates appeared in the written exam.
- Evaluator has evaluated the answer sheets of the all 32 candidates. Out of 32 candidates, 02 candidates got 100% marks and 02 candidates got marks between 80% to 90%.

During investigation of the case following irregularities have been observed:-

- (i) Evaluator altered the marks of some candidate against subjective question twice.
- (ii) Due to above said alteration, two candidates scored 100% marks.
- (iii) The selection has been cancelled by competent authority on the plea of wide variation between minimum and maximum marks obtained.
- (iv) The case is under investigation.

6. ओबीएचएस (ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज) निष्पादन कार्य में अनियमितताएं:

✍ कुमार करुणेश, मुसतानि (यांत्रिक)

पूमरे की प्राथमिक ट्रेनों में आयोजित विभिन्न निवारक सतर्कता जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:-

- (i) प्रति 3 कोच पर 1 जेनिटर के मानदंड की आवश्यकता से कम जेनिटर ड्यूटी पर उपलब्ध पाए गए। ओबीएचएस कर्मचारी उचित यात्रा प्राधिकार के बिना और गलत आईडी के साथ भी ट्रेन में पाए जाते हैं। एक ट्रेन में एक संवेदक द्वारा एक जेनिटर को दंड प्रावधानों से बचने के लिए ईएचके (कार्यकारी हाउस कीपर) के रूप में काम कराया जा रहा था क्योंकि करार के अनुसार, ईएचके के नहीं रहने पर, पूरी ट्रेन के लिए ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जाना है।
- (ii) अलग-अलग कोचों में ओबीएचएस सेवा प्रदान करने के लिए कोच-वार जेनिटर नामांकित थे, लेकिन एक मामले में सभी जेनिटर ट्रेन के एसी कोच में एक स्थान पर बैठे रहे और ट्रेन यात्रा के 5 घंटे बाद भी कोई सफाई गतिविधियां नहीं की गई थीं। अधिकांश सफाई सामग्रियों को अप्रयुक्त और बरकरार पाया गया। उपलब्धता के बावजूद, ट्रेन में काम करने के दौरान जेनिटर वर्दी नहीं पहने थे। एक मामले में, सभी छह उपलब्ध जेनिटर बिना किसी वर्दी के ट्रेन में काम कर रहे थे और एक ही स्थान पर अपनी वर्दी हैंडबैग में रखे थे। अधिकांश ट्रेनों में, ओबीएचएस कर्मचारियों को निर्दिष्ट वर्दी, गम बूट, हाथ दस्ताने, टोपी इत्यादि के बिना पाया गया जो करार के अनुसार आवश्यक थे।
- (iii) मूल स्टेशन पर ओबीएचएस के लिए सामग्रियों की सूची तैयार करने में विभिन्न अनियमितताएं देखी गई हैं। एक मामले में यह रेलवे पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था एवं सामग्रियों की कमी के बावजूद सूची में कोई कमी नहीं दर्शायी गई थी।
- (iv) एक अन्य मामले में, राउंड ट्रिप के लिए आरंभिक स्टेशन पर दी गई सफाई सामग्री ओबीएचएस कर्मचारियों के पास यात्रा के अंत तक बिना प्रयुक्त किये पाए गए जिसे ओबीएचएस कर्मचारियों द्वारा राउंड ट्रिप यात्रा के दौरान उपयोग में नहीं लाया गया था।

6. Irregularities in OBHS (On-Board House Keeping Services) execution work.

 **Kumar Karunesh, CVI/Mech.**

In the different Preventive vigilance checks conducted in the primary trains of ECR, Following irregularities were observed:-

- (i) Available janitors was less than required as per norms @ 1 janitor per 03 coach. OBHS staffs were found in train without proper travelling authority and also with wrong ID. In a train, one Janitor was working as EHK (Executive House Keeper) to avoid penal provisions. Because as per CA, without EHK, no payment was to be made to contractor for the complete train.
- (ii) There is a coach-wise nomination of Janitors to provide OBHS service in the different coaches, but all the Janitors were found sitting at one place in a AC coach of the train and no cleaning activities done even after 5 hours of train journey. Most of the cleaning agents and solutions were found unused and intact. Despite availability, janitors were not in uniform during working in a train. In a case, all the six available janitors were found working in the train without uniform and kept their uniform in a handbag at one place. In most of the trains, OBHS staffs were found without specified uniform, Gum boot, hand gloves, cap etc. as specified in CA.
- (iii) There observes various irregularities in preparing list of materials for OBHS at originating station. In a case, it was not signed by Rly. Supervisor and no shortfall in the materials were indicated despite deficiency of materials.
- (iv) In another case, the cleaning materials taken at originating for round trip were found to be lying with the OBHS staff without being used upto the fag end of the trip. It seems that these were not used by the OBHS staff during the round trip journey.

पूर्व मध्य रेल



एसआईएल सं.12/2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं०— ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 24.10.2017

**प्रधान मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।**

विषय:— कार्य अनुबंधों में बड़ी भिन्नता — बचाव।

संदर्भ:— रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2015/वी 3/ईसी/इंजीनियरिंग/11
दिनांक 14.09.2017

★★★★★

उपरोक्त संदर्भित पत्र (सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न) द्वारा रेलवे बोर्ड सतर्कता ने निर्देशित किया है कि सीवीसी की सिफारिश के अनुसार रेलवे पर आवश्यक प्रणाली सुधार शुरू किया जा सकता है।

इसलिए अनुरोध किया गया है कि इस कार्यालय को सूचना के तहत जल्द से जल्द भारी बदलाव से बचने के लिए आवश्यक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाये, ताकि अनुपालन रेलवे बोर्ड को भेजा जा सके।

शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्नक:— यथोचित।

(जे. के. सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No. 12/2017



Office of the,
General Manager (Vig.)
Hajipur

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 24.10. 2017

**PCE,
E.C. Railway,
Hajipur.**

Sub: Large variation in Work Contracts - Avoidance.

Ref : Railway Board's letter No. 2015/V3/EC/Engg/11 dated 14.9.2017.

★★★★★

Railway Board Vigilance vide letter under reference (copy enclosed for ready reference) has directed that necessary system improvement may be introduced on the Railways as per the recommendation of CVC.

It is, therefore, requested that necessary system improvement letter may be issued from your end to avoid huge variation, at the earliest, under intimation to this office, so that compliance may be sent to Railway Board.

An early action will be highly solicited.

DA : As above

(J.K.Singh)
Dy.CVO/Engg
For GM(Vig)

पूर्व मध्य रेल



एसआईएल सं.13/2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सर्तकता)
हाजीपुर

सं०— ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 07.11.2017

मंडल रेल प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल, धनबाद।

विषय:— रेलवे यार्ड में गिरे हुए कोयले के नीलामी के संबंध में।

संदर्भ:— (i) इस कार्यलय का पत्रांक सं०—ईसीआर/विज/सिस्टम इम्पुवमेंट/50 दिनांक:—15.09.15

(ii) सी0सी0एम(एफएम)/ईसीआर का पत्रांक सं०:ईसीआर/सीआरएम/एफएमएस/02/ओएल दिनांक:—30.10.15

(iii) सी0सी0एम(एफएम)/ईसीआर का पत्रांक सं० ईसीआर/सीआरएम एफएमएस/02/ओएल दिनांक:—16.10.17

★★★★★

कोयला क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय/धनबाद के एक केस के अन्वेषण के दौरान कोयले की नीलामी से संबंधित कई फाइलों की सूक्ष्मता से जाँच की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि रक्षित/गिरे हुए कोयले के पब्लिक नीलामी के लिये सूचना “जैसा है जहां है” के आधार पर समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संबंधित विभाग, वाणिज्य, सिविल इंजीनियरिंग, यातायात, लेखा, परिचालन और सुरक्षा के निरीक्षकों की टीम के द्वारा गिरे हुये कोयलो के वजन का अनुमान कर देने के बाद भी प्रकाशित सूचना में अनुमानित वजन का वर्णन नहीं किया गया था। प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के पत्र (संदर्भ—ii) के अनुसार नीलामी की वस्तु के संक्षिप्त विवरण में उसका आयतन, क्षेत्रफल और कोयले के स्थान विद्युत पोल की संख्या के साथ निहित नहीं होता है जिससे बोली लगाने वाले कोयले के क्षेत्र की पहचान कर सकें। कोयला हटाने में लगने वाले समय का भी विवरण दिया जाना आवश्यक है। सर्तकता प्रणाली सुधार पत्र (संदर्भ—i) के अलोक में वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय द्वारा दिशा—निर्देश (संदर्भ—ii) दिनांक 30.10.15 को जारी किया गया था।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No. 13/2017



Office of the,
General Manager (Vig.)
Hajipur

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated : 07.11. 2017

**Divisional Railway Manager,
East Central Railway, Dhanbad.**

Sub: Auction of salvaged/fallen coal dust from railway yards.

Ref: (i) This office letter no. ECR/Vig./System Improvement/50 of date 15.09.2015.

(ii) CCM(FM)/ECR's letter no. ECR/CRM/FMS/02/OL of date 30.10.15.

(iii) CCM(FM)/ECR's letter no. ECR/CRM/FMS/02/OL of date 16.10.17.

★★★★★

During course of case investigation, several coal auction files in the office of Coal Area Manager/DHN were scrutinized. During the check, it was found that public sale notice for the auction of salvaged/fallen coal dust from wagons was published on “AS LYING/AS IS WHERE IS” basis in news papers. On perusal, approx weight of the lying coal was not found being mentioned in the auction sale notice despite assessment of weight of the coal being conducted by the inspectorial team of concerning depts. Comml., Civil, Engg., Traffic Accounts, Operating & Security. As per CCM office letter under ref (ii), brief description of the auctioned articles includes; volume, area and location of the coal by specifying Elec. Mast no. and identification marks to locate for the visual verification by the bidder. It contains actual time required for removal of the auctioned coal also. In view of vigilance SIL under ref(i), CCM office had issued instruction vide ref(ii) on 30.10.2015.

इस संबंध में मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश (संदर्भ-ii) से स्पष्ट है कि सामग्री के सभी विवरणों के अन्तर्गत नीलामी सूचना जारी करना होता है। सभी विवरणों में सामग्री/गिरे हुये कोयले कि मात्रा/वजन भी समावेशित है। लेकिन धनबाद मंडल द्वारा जो सूचना प्रकाशित की गई उसमें कोयले का अनुमानित वजन, जैसा कि निरीक्षकों द्वारा सुझावित था, का उल्लेख नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक से पत्राचार के बाद दिनांक 16.10.2017 को संदर्भ iii के तहत एक पत्रांक मुख्य वाणिज्य/एफएम द्वारा जारी किया गया है जिसमें इंगित है कि नीलामी सूचना में आकलित वजन का उल्लेखन किया जाना चाहिए तथा संयुक्त आकलन टीम में वाणिज्य यांत्रिक विभाग के भी निरीक्षक/पर्यवेक्षक को भी समावेशित किया जाए। उल्लेखित पत्र सुलभ संदर्भ एवं अनुपालन हेतु संलग्न है।

(शिखा श्रीवास्तव)

उपमुसताधि/याता.

कृते महाप्रबन्धक/सतर्कता

मैं दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि देश के
 श्रष्टाचार मुक्त होने और सुन्दर मस्तिष्कों का
 राष्ट्र बनने के लिए तीन मुख्य सामाजिक सदस्य हैं
 जो कि बदलाव लेकर आ सकते हैं,
 और वे हैं... पिता, माता और शिक्षक

— ऐ.पी.जे. अब्दुल कलाम

In this regard, HQ instructions under ref (ii) are very clear to issue Auction notice indicating all details of the consignment. All details includes quantity/weight of the consignment/fallen coal also. But the notices issued by the DHN Divn. are not included approx weight suggested by the inspectorial team.

In this regard, after correspondence with the CCM/ECR, a letter of date 16.10.2017 under ref (iii) has already been issued by the CCM(FM)/ECR in which it is pointed out that the assessed weight should be mentioned in auction notification and Joint assessment team includes an inspector/supervisor from Mechanical & Coml. department also. The same is enclosed herewith for ready reference and compliance please.

(Shikha Srivastava)
Dy.CVO (T)/ECR
For G.M(Vigilance)/ECR

**"Bombs and pistols do not
make a revolution. The sword
of revolution is sharpened on
the whetting-stone of ideas"**

— Bhagat Singh —

पूर्व मध्य रेल



एसआईएल सं.14 / 2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं०— ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 14.11.2017

प्रधान वित्त सलाहकार

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषय:— बहु-परेषिती वाले आर. नोट के मामले में 100% बिल के भुगतान में विलम्ब के संबंध में।

★★★★★

एक निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया है कि बहु-परेषिती वाले मामले में सामग्री की आपूर्ति हेतु एक खरीद आदेश जारी किया गया था। फर्म द्वारा मुख्य डिपो में सामग्री प्राप्ति के पश्चात् तीन अलग-अलग डिपों से संबंधित तीन आर0 नोट के विरुद्ध शत-प्रतिशत भुगतान के लिए बिल प्रेषित किया गया। तीन आर0 नोट्स में से दो आर0 नोट्स ही समय पर लेखा कार्यालय में प्राप्त हुए और एक आर0 नोट लगभग एक साल बाद लेखा कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसके कारण फर्म का बिल लेखा कार्यालय में एक साल तक लंबित पड़ा रहा। आई0एम0एम0आई0एस0 के क्रियान्वयन के पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत बहु-परेषिती के मामले में सभी आर0 नोट को संबंधित लेखा कार्यालय में भेजा जाता था एवं सभी आर. नोट्स के लेखा कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् ही संबंधित बिल को पास किया जाता था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आई0एम0एम0आई0एस0 के क्रियान्वयन से पूर्व की अवधि से बहु-परेषिती वाले लंबित बिलों की निगरानी की तत्काल आवश्यकता है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति से बचने के लिए ऐसे बिलों के लिए पखवाड़े/मासिक आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए एवं ऐसे बिलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट इस कार्यालय को भी भेजी जाए।

इसे "अति आवश्यक" समझा जाए।

(ए0के0पाठक)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (लेखा)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No. 14/2017



Office of the,
General Manager (Vig.)
Hajipur

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 14.11. 2017

**Principal Financial Advisor
East Central Railway, Hajipur**

Sub: Delay in passing of bills of 100% payment against R. Note having multiple consignee

★★★★★

During a preventive check, it has been found that a Purchase Order was issued for supply of material having multiple consignee. After due receipt of the material in the main depot, the bill was submitted by the firm for 100% payment against 03 R. Notes pertaining to three different depots. Out of the three R. Notes, 02 R. Notes were received in the Accounts office in time but 01 R. Note was received in the Accounts office after almost a year due to which the said bill was pending in the Accounts office for almost a year. As per prevalent practice, before the implementation of IMMIS, the R. Notes were sent to the Accounts office from different consignee in cases of multiple consignee and only after all the R. Notes from all consignee were received, the bills were passed.

In view of the above, there is an urgent need to monitor pending bills with multiple consignee of pre-implementation period of IMMIS. To avoid such recurrence, an exception report should be prepared on fortnightly/monthly basis for such bills and the disposal of these bills should be done on priority basis. Action taken in this regard may please also be intimated to this office.

This may be treated as “**MOST URGENT**”.

(A.K. Pathak)

Dy. Chief Vigilance Officer(A)
For General Manager/Vigilance

पूर्व मध्य रेल



एसआईएल सं.15/2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं०— ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 28.11.2017

**प्रधान मुख्य अभियंता
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर**

विषय:— निविदा अनुसूचि को अनुमोदित नक्शा के अनुसार बनाने के संबंध में प्रणाली सुधार हेतु।

★★★★★

सीमित ऊँचाई सबवे (1 X 5.0 मी0 स्पैन सेगमेंटल बॉक्स) प्रदान करके क्यूल-गया अनुभाग के किमी0 46/09-47/01 पर मानव रहित फाटक संख्या 19सी के उन्मूलन के लिए काम की गुणवत्ता और मात्रा के संबंध में निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया है कि सेगमेंटल बॉक्स के लिए निविदा अनुसूचि ग्रेड एम-30 कंक्रीट का उपयोग करके तैयार की गई थी। लेकिन बॉक्स के निर्माण के लिए अनुमोदित नक्शा में ग्रेड एम-35 कंक्रीट का उल्लेख किया गया है। हालाँकि बॉक्स का निर्माण टेंडर शेड्यूल में संशोधन किए बिना साइट पर ग्रेड एम-35 कंक्रीट उपयोग करके बनाया गया था और ग्रेड एम-30 कंक्रीट के लिए भुगतान किया गया था।

इसलिए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनुमोदित नक्शा के अनुसार निविदा अनुसूची तैयार करने के लिए संबंधित इकाई को उचित निर्देश जारी किया जाये।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति सूचना और रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को भेजा जाए।

(जे०के० सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No. 15/2017



Office of the,
General Manager (Vig.)
Hajipur

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 28.11. 2017

**Principal Chief Engineer,
E.C.Railway,
Hajipur.**

Sub:- System improvement regarding preparation of tender schedule according to approved drawing

★★★★★

During a course of preventive check regarding quality and quantity of work for elimination of Unmanned L-Xing No.19 'C' at Km 46/09 – 47/01 by providing Limited Height Subway (1x 5.00m span segmental box) on Kiul – Gaya section, it is observed that tender schedule for segmental box was prepared using grade M-30 concrete but grade M-35 concrete is mentioned in approved drawing for construction of segmental box. However the segmental box was constructed by using grade of concrete M-35 at site without making in modification of tender schedule and payment was done for M-30.

Hence suitable instruction may kindly be issued to field unit to prepare the tender schedule according to approved drawing for avoiding recurrence of such incidence in future.

A copy of instruction issued may be sent to this office for information and record

(J.K.Singh)

Dy.CVO (Engg)

For General Manager(Vig)

पूर्व मध्य रेल



एसआईएल सं.01/2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं०— ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 07.02.2017

मंडल रेल प्रबंधक, धनबाद

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, पूमरे/हाजीपुर।

विषय:— भारतीय रेलवे वित्त संहिता खंड-1 के पैरा 608 में निहित निविदा खोलने के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।

★★★★★

रेलवे अस्पताल, धनबाद में कैशलेस सेवा के तहत सीटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जाँच से संबंधित निविदा मामलों के जाँच के दौरान यह पाया गया था कि निविदा खोलने वाले अधिकारियों ने ऑफर के दरों में सुधार/ओवरराइटिंग/चूक वाले अधिकांश जगहों पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे वित्त संहिता खंड-1 के पैरा 608 में निहित निविदा खोलने के प्रावधानों का भी अक्षरशः पालन नहीं किया गया जैसे कि एक पृष्ठ पर निविदा खोलने वाले अधिकारियों के द्वारा कुल सुधारों की संख्या अंकित करते हुए उनके द्वारा प्रमाणित तो की गयी परन्तु ऑफर/कोटेशन के अन्य पृष्ठों पर इस क्रम का सुपालन नहीं किया गया। इसके अलावा ऑफर के पृष्ठों में से एक पर निविदा खोलने वाले अधिकारियों के द्वारा अधिलिखित दरों को उद्धृत किया गया, लेकिन अन्य पृष्ठों पर इसका अनुपालन नहीं किया गया जो निविदा खोलने वाले अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्रवाई में एकरूपता को नहीं दर्शाता है।

उपरोक्त को देखते हुए आग्रह है कि भारतीय रेलवे वित्त संहिता खंड-1 के पैरा 608 में निहित निविदा खोलने के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उचित दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रणाली सुधार करायी जाए।

कृपया जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी(भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No. 01/2018



Office of the,
General Manager (Vig.)
Hajipur

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated : 07.02. 2018

DRM/ECR/DHN

PCMD/ECR/HJP

Sub:- System improvement regarding compliance of provisions for tender opening in terms of para 608 of Indian Railway Finance Code vol-I.

★★★★★

During course of investigation of tender case for “Cashless service for investigation of CT Scan, MRI, Pathological & Radiological” of Railway Hospital Dhanbad, it was noted that the tender opening officials marked and initialed corrections/overwriting/omissions in offered rates at not all but most of the places. Moreover, provisions of Para 608 of Indian Railway Finance Code vol-I were also not found to be complied with in letter and spirit as at one page, tender opening officials mentioned about total no. of corrections witnessed by them but this act was simultaneously missing on another page of the offer/quotation. Further, at one of the page the overwritten rates were mentioned by tender opening officials but did not follow the same course on other pages. The act of tender opening officials reflects in-consistent action on their part.

In view of above, it is requested to issue necessary guidelines in order to effect System improvement regarding compliance of provisions for tender opening in terms of para 608 of Indian Railway Finance Code vol-I.

A copy of instruction issued may be sent to this office for information & record.

(Sunny Sinha)

Dy.CVO(S)

For GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल



एसआईएल सं.02/2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं०— ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 16.02.2018

मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजिनियर पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय:— कार्य/भंडार संविदा के माध्यम से सिग्नल मर्दों के खरीदारी में प्रणाली सुधार।

संदर्भ:— निदेशक सतर्कता (भंडार) रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 2013/वी४/ईसीआर/एसटी/24 दिनांक 02.02.2017.

★★★★★

एक मामले में जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्य संविदा के माध्यम से एस०एस०डी०ए०सी० की खरीद अत्यधिक उच्च दरों पर की गई। जाँच के दौरान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण (द०) ने प्रशासनिक विचार हेतु कुछ नीतिगत मुद्दों को उठाया, जिसे रेलवे बोर्ड सतर्कता के द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया गया है :—

1. प्रचलित नीति न केवल भंडार के द्वारा चुनिंदा सिग्नल एवं दूरसंचार मर्दों के आपूर्ति को निरूपित करता है बल्कि मामलों के आधार पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण को कार्य संविदा के तहत कार्य करने की अनुमति भी देता है। इस प्रकार की दोहरी प्रणाली को सराहा नहीं जा सकता।
2. सिग्नल एवं दूरसंचार में, एजेंसी सामग्री की आपूर्ति के उपरान्त गायब हो जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए सामग्री की अग्रिम आपूर्ति के लिए भुगतान शर्त को बदलने की आवश्यकता है।
3. कार्य संविदा और भंडार संविदा के लिए आपूर्ति एवं इन्सटॉलेशन की लागत में उचित समानुपात अर्थात् 60:40 होना चाहिए।

उपरोक्त को देखते हुए कार्य/भंडार संविदा के माध्यम से सिग्नलिंग सामग्री खरीद के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उचित दिशा—निर्देश जारी करते हुए प्रणाली सुधार करायी जाए।

कृपया जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी(भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No. 02/2018



Office of the,
General Manager (Vig.)
Hajipur

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 16.02. 2018

**Chief Signal & Telecom Engineer
East Central Railway, Hajipur**

Sub : System improvement in signaling material procurement policy through Works/Stores Contract.

Ref :- Director Vigilance (Stores), Railway Board letter no. 2013/V4/ECR/ ST/ 24 dtd. 02.02.2017

★★★★★

During course of investigation of a case, it was observed that procurement of SSDAC through works contract was made at unreasonably high rates. In the course of investigation, CAO/CON(S) had raised some policy issues for the consideration of administration which was endorsed by Railway Board vigilance also. It inter-alia, includes the following facts:

- 1) "The Policy in-vogue not only enunciates for supply of selective S&T items through Stores but also allows CAO/Con to go for works contract on case to case basis. This duality of system is not appreciated.
- 2) In S&T, agency supplies materials and disappear. Payment clause for advance supply of materials needs to be changed to eliminate this situation.
- 3) Installation cost should form appreciable portion of supply and installation both for works contract and stores supply 60:40.

In view of above, it is requested to issue necessary guidelines in order to effect System improvement in signaling material procurement policy through Works/Stores Contract.

A copy of instruction issued may be sent to this office for information & record.

(Sunny Sinha)
Dy.CVO(S)
For GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल



एसआईएल सं.03/2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं०— ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 26.02.2018

प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय:— करार समाप्ति से संबंधित प्रणाली सुधार।

★★★★★

एक निवारक जाँच के अन्वेषण से प्रकाश में आया है कि एक करार को 7 दिन तथा 48 घंटे की सूचना दिये बिना समाप्त किया गया, वह भी विस्तारित अवधि के चार साल बीत जाने पर। आगे, यह भी पाया गया कि संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा संवेदक को समान अवधि विस्तार व अधिकार पत्र प्राप्ति के बिना ही निर्गत किया गया।

अतः रेलवे बोर्ड के निर्देश का पालन करते हुए यह सलाह दी जाती है कि करार की वैधता तारीख 7 दिन तथा 48 घंटे के अन्दर सूचना देकर ही करार की समाप्ति की जाए। इसके लिए प्रणाली सुधार पत्र/उचित दिशा निर्देश जारी किया जाए। संविदात्मक कार्य को निष्पादित करने हेतु सामग्रियों को उचित प्राधिकार के आधार पर ही निर्गत किया जाए।

(बी० के० सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No. 03/2018



Office of the,
General Manager (Vig.)
Hajipur

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 26.02. 2018

**PCSTE
E.C. Railway
Hajipur.**

Sub : System improvement regarding termination of contract.

★★★★★

The investigation of a preventive check revealed that tender was terminated without issuing 7 days and 48 hours notice that too after elapsing of 4 years of extended period. Further, it is also observed that material was issued to Contractor by supervisor concerned without receiving contract validity extension letter.

It is, therefore, advised to issue system improvement letter/suitable guidelines regarding termination of contract after issuing 7 days and 48 hours notice within validity period adhering procedures/stipulations of Railway Board. The materials to execute contractual work should be issued against proper authority.

(B.K. Singh)
Dy. Chief Vigilance Officer (Elect.)
For GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल



एसआईएल सं.04 / 2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं०— ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 13.03.2018

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय:— भारतीय रेलवे मेडिकल खंड-1 के पैरा 539 (1) में निहित प्रावधानों के अनुकूल निरंतर सीक प्रमाणपत्र हेतु प्रणाली सुधार।

★ ★ ★ ★ ★

रेलवे अस्पताल में सीक प्रमाणपत्र जारी करने के पहलू पर एक निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया कि सीक विस्तार सूचना सभी मामलों में जारी नहीं किया गया जो भारतीय रेलवे मेडिकल खंड-1 के पैरा 539 (1) में निहित प्रावधानों के अनुकूल अक्षरशः पालन नहीं किया हुआ पाया गया।

अतः आग्रह है कि भारतीय रेलवे मेडिकल खंड-1 के पैरा 539 (1) में निहित प्रावधानों के अनुपालन हेतु उचित दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रणाली सुधार करायी जाए।

कृपया जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी(भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No. 04/2018



Office of the,
General Manager (Vig.)
Hajipur

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 13.03. 2018

PCMD

E.C. Railway

Hajipur.

Sub : System improvement regarding compliance of provisions of Continuation Sick Certificate in terms of para 539(1) of Indian Railway Medical Manual, Volume-I.

★★★★★

During a Preventive check in the Railway hospital regarding Issue of Sick Fit Certificate, it was observed that the Extension Intimation of Sick was not issued for all the extensions, and Provisions of para 539(1) of Indian Railway Medical Manual, Volume-I was not found to be complied with in letter and spirit.

It is requested to issue necessary guidelines in order to effect System improvement regarding compliance of provisions of para 539(1) of Indian Railway Medical Manual, Volume-I.

A copy of instruction issued may be sent to this office for information & record.

(Sunny Sinha)
Dy.CVO(S)
For GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल



एसआईएल सं.05 / 2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं०— ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50 दिनांक: 27.03.2018

**सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/मुख्य विभागाध्यक्ष/पूमरे
सभी मंडल रेल प्रबंधक/पूमरे**

विषय:— निविदाओं और संविदा निगरानी को अंतिम रूप देने में समय सीमा का पालन करना।

संदर्भ:— (i) रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2016/सीई-1/सी टी/18/ओएमसी/
समय सीमा/पैरा 13.3 दिनांक 22.12.2016 (सलग्न प्रतिलिपि)

(ii) रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2016/भी 3/एससी/इंजीनियरिंग 06-सीवीसी
दिनांक 20.12.2017 (सलग्न प्रतिलिपि)

★ ★ ★ ★ ★

परियोजनाओं, कार्यों, सामग्रियों की आपूर्ति इत्यादि के समय पर पूरा होने के साथ-साथ निविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निविदाओं को यथासंभव शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए जरूरी है। रेलवे बोर्ड अपने पत्र संदर्भ (i) के माध्यम से सलाह दी है कि :-

- (i) सभी परिस्थितियों में, सभी निविदाओं को उनकी मूल वैधता अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- (ii) निविदा को मूल वैधता समय सीमा के बाद अंतिम रूप देने में, यदि कोई हो तो, का कारण निविदा समिति द्वारा दर्ज कर निविदा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए।
- (iii) मूल वैधता अवधि से अधिक विलंब के कारणों का पता लगाने के लिए निविदा खोलने से निविदा को अंतिम रूप देने तक का विश्लेषण गहनता से किया जाना चाहिए ताकि अनुचित विलंब के लिए निविदा समिति सहित अन्य अधिकारियों पर उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी तय किया जा सके

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No. 05/2018



Office of the,
General Manager (Vig.)
Hajipur

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 27.03. 2018

All PHODs/CHODs/ECR

All DRMs/ECR

Sub : Adhering to time frame for finalization of Tenders & contract monitoring.

Ref : (i) Railway Board's letter no. 2016/CE-1/CT/18/OMC/
Time frame/Para 13.3 dt. 22.12.2016 (Copy enclosed),
(ii) Railway Board's letter no. 2016/V3/SC/ Engg./06-
CVC Dt. 20.12.2017 (Copy enclosed)

★★★★★

To ensure timely completion of projects, works, supply of materials etc. as well as to ensure transparency in tenders, it is absolutely essential to finalize the tenders as expeditiously as possible.

Railway Board vide their letter under reference (i) have advised that:

- (i) Under all circumstances, all tenders should be finalized within their original validity period.
- (ii) Reasons for delay in finalization of tender beyond original validity period (if any) should be recorded by Tender Committee for consideration of Accepting Authority.
- (iii) Reasons for delay beyond original validity period should be properly analysed starting from opening of tender till its finalization and accountability for any unreasonable delay should be fixed on the officials concerned including Tender Committee as the case may be.

(iv) निविदा की स्थिति को आवश्यक रूप से समय-समय पर आवश्यक कार्यवाई करने हेतु महाप्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक द्वारा समीक्षा की जाए।

ऊपर वर्णित पैरा (iv) में सुधारात्मक कार्यवाई करने के लिए विशेष रूप से महाप्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक स्तर पर आवधिक समीक्षा में शामिल है। आवधिक समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे पर निम्नलिखित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए:-

(अ) **निर्माण संगठन समेत मुख्यालय के कार्यालय के लिए** -

निविदाओं को संभालने वाले संबंधित मुख्य विभागाध्यक्ष संकलन के लिए वरिष्ठ उप महाप्रबंधक को संबंधित प्रधान विभागाध्यक्ष के माध्यम से मासिक अपवाद रिपोर्ट जमा करेंगे। अधिक या अनुचित विलंब के मामलों को महाप्रबंधक के पास समीक्षा के लिए रखा जाएगा।

(ब) **मंडलों के लिए** - मंडल स्तर पर अंतिम रूप देने वाले

निविदाओं के लिए संबंधित शाखा अधिकारी, संबंधित अपर मण्डल रेल प्रबंधक के माध्यम से मण्डल रेल प्रबंधक को मासिक अपवाद रिपोर्ट जमा करेगा।

(स) **कार्यशाला और अन्य कार्यालयों के लिए** - संबंधित प्रमुख को

इस सूचना को संबंधित मुख्य विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना चाहिए।

मासिक अपवाद, रिपोर्ट अनुलग्नक 'ए' में प्रोफाइल के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए (प्रति संलग्न)।

इसके अलावा, परियोजनाओं, कार्यों, आपूर्ति इत्यादि को समय से पूरा होने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अनुबंध का प्रबंधन समान रूप से महत्वपूर्ण है।

रेलवे बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे पर निविदा प्रबंधन के तंत्र की जानकारी मांगी है। यह प्रकाश में आया है कि 5 से अधिक वर्षों के पुराने अनुबंध अभी भी बरकरार हैं और कोई निगरानी तंत्र नहीं है। अनुबंध की उचित निगरानी के लिए, निम्नलिखित प्रणाली को क्षेत्रीय रेलवे पर समान रूप से अपनाया जाना चाहिए।

- (iv) The position of tender may be periodically reviewed by GMs/DRMs for taking corrective action, as required.

Para (iv) as mentioned above entails the periodical review particularly at GM/DRM level for taking corrective action. To ensure periodical review, the following system should be adopted on the zonal Railway:

- a. **For Headquarters' office including construction organization-** The respective HODs handling tenders shall submit the monthly exception report through respective PHODs to SDGM for compilation. The cases of undue or unjustified delay will be put up for kind perusal of General Manager.
- b. **For Divisions-** For tenders finalized at Divisional level, concerned Branch officer will submit the monthly exception report, to DRM through respective ADRMs.
- c. **For workshop and other offices –** The concerned Head should put up this information to respective PHOD.

The monthly exception report should be submitted as per proforma at Annexure 'A' (Copy enclosed)

Further, management of contract is equally important to ensure timely completion of projects, works, supplies etc. and to weed out corruption.

CVC through Railway Board sought information of mechanism of contract management followed on different Zonal Railways. It has come to light that large number of old contracts of more than 5 years are still languishing and there is no monitoring mechanism. For proper monitoring of contract, the following system should be adopted uniformly on the Zonal Railway.

1. निर्माण संगठन सहित मुख्यालय के कार्यालय के लिए –
निविदा के साथ वर्ताव करने वाले संबंधित विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक को संकलन के लिए प्रधान विभागाध्यक्ष के माध्यम से एक अपवाद रिपोर्ट जमा करेंगे। पूरा करने की तिथि/आपूर्ति की तिथि के समाप्त होने के मामलों को महाप्रबंधक के समक्ष समीक्षा हेतु रखा जाएगा।
2. मण्डलों के लिए—
मंडलीय निविदाओं संबंधित अपवाद रिपोर्ट संबंधित शाखा अधिकारी द्वारा संबंधित अपर मण्डल रेल प्रबंधक के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक को जारी की जाएगी। मण्डल रेल प्रबंधक वरिष्ठ उप महाप्रबंधक के माध्यम से महाप्रबंधक को सभी खराब मामलों को समाहित कर समीक्षा के लिए अपवाद रिपोर्ट भेजेंगे।
3. कार्यशाला और अन्य मामलों के लिए –
संबंधित विभागाध्यक्ष, प्रधान विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपवाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसे समांकन के लिए वरिष्ठ उप महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा जो महाप्रबंधक को समीक्षा हेतु प्रस्तुत करेंगे।
मासिक अपवाद रिपोर्ट अनुलग्नक बी (संलग्न प्रतिलिपि) में प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।
इसे महाप्रबंधक/पूर्व मध्य रेल की मंजूरी प्राप्त है।
संलग्नक – उपर्युक्त

सुधांशु शर्मा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

प्रतिलिपि –

महाप्रबंधक के सचिव—महाप्रबंधक / पू.म.रे को सादर सूचनार्थ।

1. For Headquarters' office including construction organization- The concerned HOD dealing with contract shall submit an exception report through PHOD to SDGM for compilation. Cases of expired DOC/DOS will be put up for kind perusal of General Manager.
2. For Divisions-
For Divisional contracts, exception report shall be put up by respective Branch Officer to DRM through respective ADRMs. DRM shall send a consolidated exception report of bad cases for GM's kind perusal through SDGM.
3. For workshop and other offices –
The concerned HOD will put up exception report through PHOD. The same shall be forwarded to SDGM for consolidation & putting upto GM for his kind perusal.

The monthly exception report should be submitted as per proforma at Annexure 'B' (Copy enclosed)

This has the approval of GM/ECR

D/A- As Above

(Sudhanshu Sharma)
SDGM

Copy to-

Secy. to GM- for kind information of GM/ECR.

अनुलग्नक 'ए'

निविदा की अपवाद रिपोर्ट वैधता अवधि के भीतर अंतिम रूप नहीं दी गई है।

माह -----

क्र.सं.	यूनिट	कार्य का नाम	संयोजक, सदस्य और टीएए	मूल्य (करोड़ रुपये में)	खुलने की तिथि	वैधता	किस तिथि को टीसी द्वारा टीएए को प्रस्तुत किया गया	स्वीकृति की तिथि	देरी होने का कारण	क्या उचित है या कर्मचारी जिम्मेदार है

अनुलग्नक 'बी'

6 महीने से अधिक क्रियान्वयन/बंद करने के लिए लंबित पड़े अनुबंधों की अपवाद रिपोर्ट

माह -----

क्र.सं.	कार्य का नाम करारनामा संख्या	स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि	समापन तिथि/आपूर्ति होने की मूल तिथि	करारनामा/ आपूर्ति की संशोधित तिथि	करारनामा/ आपूर्ति की तिथि समाप्ति का कारण	प्राप्त प्रगति का प्रतिशत	टिप्पणी

Annexure 'A'

Exception report of tender not finalized within the validity period
Month _____

SN	Unit	Name of work	Convenor, Members & TAA	Value in Crores	Date of opening	Validity	Date on which it was submitted by TC to TAA	Date of acceptance	Reasons for the delay	Whether justified or staff fixed responsible

Annexure 'B'

Exception report of Contracts pending for execution/closure beyond 6 months

SN	Name of work & CA No.	Date of LOA	DOC/ original DOS	Revised DOC/ DOS	Reason for expiring DOC/DOS	% progress achieved	Remarks

पूर्व मध्य रेल



एसआईएल सं.06 / 2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं०— ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 04.05.2018

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर

विषय:— दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रणाली सुधार।

★★★★★

विभिन्न सतर्कता मामलों के जाँच के दौरान यह पाया गया है कि उम्मीदवारों द्वारा उनकी नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता आदि के समर्थन में जमा किए गए दस्तावेज नकली या कूटरचित थे। इन मामलों की जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि रेलवे प्रशासन द्वारा उम्मीदवारों की नियुक्ति के समय उनके प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं की गई।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग में नियुक्ति के समय उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से कराने हेतु एक उचित तंत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति सेवा में नहीं बने रहे। इस संबंध में एक सिस्टम सुधार की आवश्यकता है। पुनः असत्यापित मामलों के सत्यापन कार्य को पूरा करने हेतु एक विशेष अभियान शुरू किया जाना चाहिए। इस संबंध में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट इस कार्यालय को भी भेजी जाए।

इसे “अतिआवश्यक” समझा जाए।

(सुधांशु शर्मा)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No. 06/2018



Office of the,
General Manager (Vig.)
Hajipur

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 04.05. 2018

**Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur**

Sub : System improvement for document verification.

★★★★★

During investigation in number of vigilance cases, it has been found that the documents submitted by the candidates in support of their educational qualification etc. at the time of their appointment were fake or fabricated. During scrutiny of these cases, it was also found that document verification of the candidates was not done at the time of appointment of the candidates by the Railway administration.

In view of the above, there is a need to develop a proper mechanism in the P-Branch for verification of the documents from the issuing authorities, submitted by the candidates at the time of their appointment so that such fraud persons do not continue in service. In this regard, a System Improvement may be effected. Further a special drive should be launched for completion of verification work of unverified cases. Action taken in this regard may be intimated to this office accordingly.

This may be treated as “**MOST URGENT**”.

(Sudhanshu Sharma)
Sr. Dy. General Manager

पूर्व मध्य रेल



एसआईएल सं.07 / 2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं०— ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 26.06.2018

सभी विभागाध्यक्ष,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय:— श्रम कानून इत्यादि से संबंधित शर्तों को समान रूप से समाहित करना।

★★★★★

एक परिवाद के जाँच के दौरान यह पाया गया कि श्रम विशेष संविदाओं में पू०म०रेल के विभिन्न मंडलों/विभागों के निविदा प्रपत्रों में विभिन्न प्रकार से श्रम धाराएँ समाहित की गई हैं जिससे निवेदकों के साथ ही officials में भ्रम उत्पन्न होता है एवं अनेक परिवादों को आकर्षित करता है। इस संबंध में, प्रमुख कार्यकारी निदेशक(सतर्कता), रेलवे बोर्ड द्वारा सलाह दी गई है कि श्रम कानून इत्यादि से संबंधित शर्तों को निविदा प्रपत्रों में समान रूप से समाहित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फरवरी 2018 में जारी नई GCC (सर्विस कॉन्ट्रैक्ट) यथार्थ रूप में लागू हो।

इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि इस संबंध में श्रम कानून इत्यादि को समान रूप से लागू कराने हेतु उपयुक्त दिशा-निर्देश सभी संबंधित को जारी कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाए ताकि रेलवे बोर्ड को तदनुसार सूचित किया जा सके।

(बी० के० सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No. 07/2018



Office of the,
General Manager (Vig.)
Hajipur

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 26.06. 2018

**All PHOD's
East Central Railway,
Hajipur.**

Sub : Uniform inclusion of conditions relating to labour laws etc.

★★★★★

In the course of investigation on a complaint, it has observed that in the labour intensive contracts, different departments/ Divisions over ECR incorporated different labour clauses in their tender documents. This led to confusion amongst bidders as well as officials and attracted various complaints in this regard. In this regard, PED (vigilance) has advised that uniform inclusion of conditions relating to labour laws etc. should be implemented. Further, it should be ensured that the new GCC of service contracts of February 2018 should be implemented in the true spirit.

Therefore, it is requested that the suitable instructions/ guidelines in this regard may be issued to all concerned for uniform implementation of labour laws etc. and may be apprised to this office for further intimation to Rly. Bd.

(B.K.Singh)

Dy. Chief Vigilance Officer/Elect.
East Central Railway/Hajipur

उदासीनता से श्रद्धा

✍ डी.डी. सिंह मुकार्याधी (सतर्कता)

मेरी नियुक्ति पश्चिम रेल मुख्यालय चर्चगेट के कोर्ट अनुभाग में होने पर एक विधि स्नातक होने के कारण मैं कोर्ट केस से संबंधित कार्य का भरपूर आनंद लिया। मुझे वहाँ काम करते हुए कई साल बीत गये। तदोपरान्त नये जोन के गठन के समय मेरा स्थानांतरण पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर हुआ। यहाँ भी मेरी नियुक्ति दावा विभाग में कोर्ट केस हेतु हुई जो मेरे लिए पूर्व के भोजन के स्वाद के रूप में ही था। कोर्ट केस लगातार देखने के कारण यह मेरे लिए एक अरुचिकर बासी भोजन की तरह था। इसी बीच सतर्कता अनुभाग में मुख्य कार्यालय अधीक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन मेरे लिये नये द्वार खोलता हुआ प्रतीत हुआ। चूँकि दावा अनुभाग में कार्य के दौरान सतर्कता निरीक्षकों के लगातार आने से मुझे इस विभाग के लिये कोई श्रद्धा नहीं थी, फिर भी मैं उस विज्ञापन में आवेदन देकर सतर्कता विभाग में नियुक्त हुआ। मेरे मन में यह धारणा थी कि सतर्कता विभाग, मौके की तलाश में रहता है कि छोटे-छोटे गलतियों में भी मामले बनाये जा सकें, बिना किसी संवेदनशीलता, नैसर्गिक सोच तथा दूसरों के कैरियर की चिन्ता किये बिना।

हालांकि मैंने कुछ पुराने मिसिलों को पृष्ठ दर पृष्ठ अध्ययन करते हुए काम करना शुरू किया। मैंने ऑफिस में कार्य के दौरान यह पाया कि फाईल संख्या 50 की माँग विभिन्न कर्मचारियों एवं निरीक्षकों द्वारा लगातार की जाती थी। फाईल के अवलोकन पर यह ज्ञात हुआ कि यह फाईल सतर्कता विभाग द्वारा प्रणाली सुधार हेतु समय-समय पर दिये गये मार्गदर्शनों से संबंधित है। इस फाईल के अध्ययन के बाद मेरा पूर्वाग्रह बदल गया कि सतर्कता विभाग न केवल दोषी कर्मचारियों पर शिकंजा कसता है बल्कि समय-समय पर प्रणाली सुधार के द्वारा यह भी प्रयास किया जाता है कि छोटी-मोटी गलतियाँ जो अनचाहे हो जाती हैं, में सुधार हो जिससे उनमें सतर्कता मामले का दखल न हो। इस फाईल में रेल के सभी विभागों के क्रिया-कलापों में सुधार हेतु पत्र मंडल व संबंधित कार्यालय को लिखे गये थे। इस तरह के पहल को देखने के उपरान्त मेरी अवधारणा पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे मन का पूर्वाग्रह दूर हो चुका था और नया विश्वास घर कर चुका था। अब मेरा मन सतर्कता विभाग के लिए श्रद्धा से भर गया था।

मेरा यह विश्वास कि “सजा से सुधार के प्रयास बेहतर है” के पीछे विधि शास्त्र के कुछ दंडात्मक सिद्धान्त हैं। प्रणाली सुधार जिसके अन्तर्गत इनके पत्र जारी किये जाते हैं विधि के मान्यताओं के अनुरूप है जो विभाग द्वारा किये जा रहे सभी प्रयासों में उत्तम है। इन्हीं कारणों से मेरा मन अब सतर्कता विभाग के सम्मान में श्रद्धापूर्वक झुकता है।

Apathy Turns Reverence

 **D D Singh Ch.OS/Vigilance**

Being a law graduate I enjoyed working in court section on my posting at Western Rly HQ Churchgate. Years flew by working there .Then I got my transfer to ECR on creation of new Zones. Posting in claim section Hajipur assigning claim court cases again put me to the same taste of food. I got board with all these stale food. However, notification in January 2018 seeking application for the post of Ch.OS in Vigilance came up with an opportunity for me opening new avenue. Though, I had apathy for this deptt as Vigilance personnel kept visiting my office even though I applied for the post. I had deep assumption that Vigilance deptt is only exploring opportunity to make cases on flimsy ground without any sensitivity, judicious approach sabotaging ones carrier.

Anyway I started working here turning leaf to leaf of old files studying some of cases. During the working, I noticed file no. 50 has been in frequent demand by all the sections, CVIs etc. Coming across this file I found that this file relates to vigilance recommendations about system improvement. A look of entire file left me otherwise and my old thoughts abruptly vanished by realizing that vigilance is not only grilling offenders but also looking into measure for system Improvement with aim to pluck holes which causes delay, mistakes advertent/inadvertently resulting scope of Vigilance intervention. System improvement files had a lot of communications to divisions or all concerned on different issues covering almost entire working of Rlys suggesting ways and means to improve the existing working procedure. Coming across such effort being taken by Vigilance deptt my antipathy turned into deep reverence. My old belief had shaken and now taken a new shape in my heart. Now I am all set to profuse felicitations for this initiative.

In the backdrop of my deep belief in reformatory ways is some of the theories of legal jurisprudence that punishment must uphold superior values.

Even a crime is a pathological state which seeks an opportunity to reform. As such reformatory postulates under which SIL are issued is in concurrence with Jurisprudence & is superior to all other steps.

Observing this, my thought which earlier happens to be defiant for vigilance now bows down in it reverence.

भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ

 **शैलेश कुमार, गो. सहायक/सतर्कता**

हम भारतवासी विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करते हैं। यह आंतरिक रूप से हमारे देश को खोखला कर रही है। मैं एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता हूँ जहाँ हर कोई कड़ी मेहनत करता है और उसे अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलता है एवं हर किसी को अपने ज्ञान और प्रतिभा के आधार पर समान अवसर मिलता है। लेकिन अफसोस, मैं जैसी कल्पना करता हूँ भारत उससे कोसो दूर है। यहाँ हर कोई इतना पैसा कमाना चाहता है कि वे अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें और इसके लिए वे भ्रष्ट तरीकों का उपयोग करते हैं।

ऐसी धारणा बनी हुई है कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर सकते, उन्हें पदोन्नति नहीं मिल सकती और उन्हें हर पग पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर, जो लोग रिश्वत लेते हैं वे एशो-आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं।

इस तरह बेईमानी और भ्रष्टाचार एक नई पोशाक पहनकर हमारे दिल पर दस्तक दे रहा है जो हमारी नसों में लहू बनकर फैल रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार, आखिरी ऑपरेशन की मांग कर रहा है। इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस के खात्मे के लिए हमें कमर कसना होगा क्योंकि जुल्म करना यदि पाप है, तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है।

भ्रष्ट तरीकों का उपयोग कर कमाया हुआ पैसा वास्तव में खुशी नहीं दे सकता। क्योंकि दर्द से कराह रहा एक बेटा अपनी माँ की गोद में नकली दवा के कारण प्राण त्याग देता है और एक तड़पती माँ के आह के सामने बेईमानी के पैसों से खड़ा शीशमहल उसे तनिक भी सुख नहीं देता। बेईमान शांति की तलाश में मंदिरों-मस्जिदों के चक्कर लगाते रह जाते हैं मगर शांति नहीं मिलती व तनावभरा, रोगग्रस्त व अपंग-सा जीवन व्यतीत करने को विवश हैं।

डिजिटल इंडिया ने भ्रष्टाचार को कम करने के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विभिन्न बैंक खातों से सभी तरह के लेन-देन पर सरकार की पैनी नज़र है। जहाँ आधार कार्ड, पैनकार्ड, ऑनलाईन सेवा पद्धति आने से भ्रष्टाचार के ग्राफ में काफी कमी आई है वहीं हर हाथ में मोबाईल आने से बेईमान कब नंगा हो जाएगा अथवा रिश्वत लेते हुए कब उसका फोटो वायरल हो जाएगा, यही खौफ भ्रष्टाचारियों पर भारी पड़ रहा है। अब तो सीसीटीवी कैमरे हर महत्वपूर्ण कार्यालय, बैंकों, चौराहों व मकानों तक में फैल चुके हैं। आज कोई भी अपराधी या भ्रष्टाचारी सीसीटीवी कैमरों के सामने से ओझल नहीं हो सकता और 24 घंटों के भीतर पकड़ा जा रहा है। आजकल कैमरे की साये में ऑनलाईन परीक्षा ली जा रही है तथा चयन प्रक्रिया में किसी भी धांधली का पर्दाफास कभी भी किया जा सकता है। ध्यान रहे “भ्रष्टाचारी कितना भी शांतिर क्यों ना हो, कुछ न कुछ सुराग छोड़ ही जाता है और एक दिन पकड़ा जाता है”

अतः जहाँ एक तरफ पग-पग पर डर है, खौफ है, दहशत है। पकड़े जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है, पूरी सम्पत्ति कुर्क हो सकती है, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है, यहाँ तक की संतान भी घृणा करने लगेंगे। जहां सब कुछ लुटते दिख रहा हो, तो क्यों न भ्रष्टाचार का मार्ग छोड़ ईमानदारी की रेलगाड़ी पर बैठकर भारत के नव-निर्माण में हाथ बटाएँ जहां शांति है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। जहां आप हमेशा तनावमुक्त व हल्का महसूस कर सकते हैं।

तो आओ हम प्रण लें कि न घूस लेंगे न देंगे। कहीं भ्रष्टाचार दिखे तो आवाज उठाएँगे। जिस दिन ईमानदारी की यह दीप हर घर में जलने लगेगी उस दिन से भ्रष्टाचाररूपी दानव अपना बोरिया-बिस्तरा समेत कर उल्टे पाँव भाग खड़ा होगा। परिणामस्वरूप अमीरी-गरीबी की बढ़ती खाई पट जाएगी। हर घर में शांति और खुशहाली होगी। विश्व की धरातल पर भारत नं.-1 का ताज पहनेगा और तभी “सोने की चिड़िया वाला भारत” का सपना साकार होगा।



आधुनिक युग के कर्ण की निष्ठा

✍ प्रमोद यादव, मुसतानि/भंडार

रामपुर गाँव के एक छोटे से कस्बे में दया-धर्म एवं त्याग के साक्षात प्रतिमूर्ति एवं ऊँच-नीच का भेद न माननेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण रामाकान्त आचार्य महोदय के घर एक ऐसे रत्न का प्रादुर्भाव हुआ जिसे सूर्य भी कहना अक्षरशः सत्य होगा। इस सूर्य का नाम आचार्य महोदय ने कर्ण रखा था। इस कर्ण के जन्म की कहानी महाभारत के कर्ण के ठीक विपरीत थी। लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि आचार्य जी के तीन पुत्रों की हैजा से मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी धर्मशीला मायके चली गयी। धर्मशीला के गाँव में कल्लू नाम के एक व्यक्ति का घर था जो निम्न जाति से था जो अपनी पत्नी पुनीता के साथ रहता था। कल्लू की मृत्यु हैजा से होने के उपरान्त उसकी पत्नी की भी मृत्यु पुत्र को जन्म देने के दौरान ही हो गयी। चूँकि कल्लू एवं उसकी पत्नी के अलावा उसके परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं था, जिसके कारण उस दूधमुँहे बच्चे को कोई अपनाने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे ही धर्म-संकट की घड़ी में आचार्य की पत्नी धर्मशीला का ममत्व जाग उठा एवं उसे अपने पुत्र के रूप में अपना लिया, जिसका नाम आचार्य महोदय ने कर्ण रखा था। शनैः-शनैः आचार्य जी के जीवन की नैया बढ़ने लगी एवं आगे चलकर उन्हें दो और पुत्रों की प्राप्ति हुई जो काफी रूपवान थे, जिनका नाम रूपक एवं अभिनव रखा गया। आचार्य जी के पुत्री एवं दो पुत्रों का रंग-रूप काफी मिलता-जुलता था, लेकिन बड़ा पुत्र जिसका नाम कर्ण था, वह उनसे अलग था।

गाँव के अधिकांश लोग किसान एवं मजदूर वर्ग के थे, जिसके कारण उनके बच्चे गाय भैंस चराने बगल के मैदान में जाया करते थे। उन्हीं बच्चों के साथ आचार्य जी का बड़ा पुत्र भी गाय चराने जाया करता था। एक तो कर्ण का शरीर तेज से भरा हुआ एवं रंग काला था, साथ ही साथ गाय चराते वक्त बाँसुरी का वादन किये जाने से उसमें कन्हैया की छवि दिखाई देती थी, जिसके कारण लोगों के द्वारा कन्हैया की तरह ही विभिन्न प्रकार के तर्क देकर कहा करते थे कि यह आचार्य जी का पुत्र नहीं है। आचार्य जी के तीनों पुत्रों की पढ़ाई गाँव के स्कूल में ही चल रही थी। आचार्य जी अपने बच्चों के साथ-साथ गाँव के प्रत्येक समुदाय के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उनका बड़ा पुत्र भी मैट्रिक की परीक्षा पास कर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था एवं शादी-विवाह के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठानों में

आचार्य जी का सहयोग किया करता था। आचार्य जी के परिवार में दुःख का वह दिन जल्द ही आ गया, जब आचार्य जी की मृत्यु हो गई एवं पूरे परिवार के भरण—पोषण का दायित्व आचार्य जी के बड़े पुत्र कर्ण के ऊपर आ गया। कर्ण पढ़ाई के साथ—साथ ट्यूशन एवं धार्मिक कार्यों से परिवार का भरण—पोषण कर रहा था। कर्ण जब स्नातक के प्रथम वर्ष का छात्र था, उसी समय उसकी नौकरी सेल्स टैक्स विभाग में बाबू के पद पर हो गई। आचार्य जी के दोनों छोटे पुत्र उस समय वर्ग छः एवं आठ के छात्र थे, जिनका पढ़ाई—लिखाई, कर्ण पटना जैसे शहर में विभाग के अनुकूल अनैतिक तरीके से पैसे कमाकर कर रहा था। कर्ण ने अपना जीवन अपने परिवार के लिए न्यौछावर कर रखा था। वह दिन भी आ गया जब कर्ण के दोनों भाइयों की नौकरी अधिकारी के पद पर हो गई।

कर्ण अपने दोनों भाइयों के साथ इस प्रकार रह रहा था, जैसे महाराज दशरथ के चारों पुत्र। समाज के लिए तीनों भाई एक दर्पण का कार्य कर रहे थे। अचानक एक ऐसा दिन भी आया जब रूपक एवं अभिनव ने कर्ण के साथ गाली—गलौज करते हुए कहा कि पैतृक सम्पत्ति पर कर्ण का कोई अधिकार नहीं है, इस हेतु गाँव में पंचायत रखी गयी। दोनों भाइयों के द्वारा गाँव के लोगों के समक्ष कर्ण के जन्म की कहानी का भेद खोलते हुए कहा गया कि पैतृक सम्पत्ति पर कर्ण का कोई अधिकार नहीं है। गाँव के पंचों से निर्णय करने हेतु दोनों भाइयों ने आग्रह किया। गाँव के लोग कर्ण की शालीनता एवं त्याग को देखते हुए कर्ण को ही इस संबंध में निर्णय हेतु नामित करते हैं। कर्ण यह कहते हुए कि मुझे थोड़ा इस बात का दुःख है कि इस छोटी सी बात के लिए पंचायत रखी गई फिर भी मैं पंचों के द्वारा दिए गए दायित्व के आलोक में मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मुझे धन—वैभव एवं विलास की कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि धन एवं वैभव की चमक इसी संसार में है। मरने के उपरान्त गरीब और अमीर को एक ही देश में जाना पड़ता है। मैं तो केवल इस परिवार का ऋण उतारने हेतु ही जन्म लिया हूँ। अतः तुम्हें इस छोटी सी बात के लिए मुझे कलंकित नहीं करना चाहिए। फिर भी तुम दोनों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मेरा यह फैसला है कि पूरी पैतृक सम्पत्ति पर तुम दोनों भाइयों का ही पूर्ण अधिकार है। आगे उसने अपनी माँ से आग्रह किया कि पूरी पैतृक सम्पत्ति दोनों भाइयों के नाम कर दें ताकि सदा के लिए विवाद खत्म हो जाए। कर्ण के इस फैसले से गाँव के लोग स्तब्ध रह गये, परन्तु कुछ लोगों के द्वारा यह मांग की गयी कि दोनों भाइयों के द्वारा आपके साथ किए गए अपमान हेतु पंचों को मौका देना चाहिए। कर्ण ने यह बात सुनते ही अपना जबाब दिया कि पंचायत भाइयों के द्वारा

रखी गई थी, न कि मेरे द्वारा। अतः मुझे अपने भाइयों के संबंध में कुछ कहना ही नहीं है। पंचायत के फैसले के आलोक में माता के द्वारा पूरी सम्पत्ति दोनों भाइयों के नाम से कर दी गयी। कर्ण की माँ अब अपने दोनों पुत्रों रूपक एवं अभिनव के साथ दूसरे शहर में रहा करती थी। अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ की कर्ण की माँ गाँव लौट आई और वहीं रहने लगी। लोगों ने इस संबंध में जानकारी ली तो पता चला कि दोनों पुत्रों की पत्नियों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही साथ पुत्रों के द्वारा भी माँ को वृद्धाश्रम में रखने की बात कही गयी। कर्ण जब अपने गाँव आया तब माँ की व्यथा सुनकर उसे अपने साथ ले जाने की बात कही, लेकिन माँ गाँव छोड़ने से इंकार कर दी। कर्ण अपनी नौकरी का परित्याग कर गाँव में ही किराये के मकान में रहकर माँ की सेवा करने लगा। कर्ण की पत्नी दिल्ली के सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी उन्हीं के साथ उनके बच्चे दिल्ली में रहने लगे। कर्ण गाँव में ही ट्यूशन एवं धार्मिक कार्यों से माँ एवं अपना भरण-पोषण करने लगा। कर्ण की माँ की मृत्यु हो गयी तब उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाया एवं अभिनव को मुखान्नि देने को कहा, लेकिन गाँव के लोगों ने विरोध किया। कर्ण ने समाज के सामने स्वीकार किया कि मैंने अपने दोनों भाइयों को अनैतिक तरीके से कमाकर पालन-पोषण किया था एवं साथ ही साथ उसे नैतिक ज्ञान भी न दे सका इसलिए इन दोनों भाइयों के द्वारा किये गये कृत का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। मैं समाज के साथ-साथ अपने दोनों भाइयों से इस कृत के लिए माफी माँगता हूँ। तदोपरान्त अभिनव ने माँ को मुखान्नि देकर अंतिम संस्कार किया उपरोक्त कहानी से परिलक्षित होता है कि मानव के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का परिणाम न्यूटन के गति के तीसरे नियम की तरह ही किया प्रतिक्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में होती है।

अतः नैतिक तरीके से अर्जित सम्पत्ति का प्रतिफल सदा ही सुखदाई एवं चिरस्थायी होता है, लेकिन अनैतिक तरीके से की गई कमाई का प्रतिफल सदा ही दुखदाई एवं अस्थायी होता है। साथ ही साथ कर्ण ने अपने त्याग एवं बलिदान से यह सिद्ध किया है कि मानव भी कलयुग में भी वफादार हो सकता है, जब उसे नैतिक ज्ञान आचार्य रामाकान्त जैसे गुरु एवं धर्मशीला जैसी माँ से मिले जिन्होंने समाज में जात-पात से ऊपर उठकर समाज को एक नई दिशा प्रदान की।



भ्रष्टाचार मिटाने को



चुप न बैठो रहो हमेशा सजग यहाँ ।
लुट रही है अपनी धरती, अपनों ने ही है लुटा जिसको,
है मिली अब हमारे हाथों में इसकी हिफाजत करने को,
देख रहा है देश हमारा की नभ से कोई आएगा,
भ्रष्टाचार के राक्षस को मिटाने, अब तो कोई आएगा,
लुट रहें हैं जिसको अपने, उसको अपना ही कोई बचाएगा,
अब ना जन्म लेंगे कृष्ण यहाँ पर ना भगत सिंह कोई आएगा,
हे कलम हमारे हाथों में, जो तलवारों से लड़ जाएगा,
नहीं रुकेगा कलम हमारा, चाहे सर कट जाएगा,
यहीं हिम्मत जन-जन में है भरना, फिर से नया देश बनाने को,
आओ लेते हैं संकल्प आज हम, भ्रष्टाचार मिटाने को,
चुप न बैठेंगे, रहेंगे हमेशा सजग यहाँ हम, तुम्हारी रक्षा करने को

✍ शैलेन्द्र कुमार

मुख्य सतर्कता निरीक्षक (भण्डार)

“आओ भारत नया बनाएं—सबमिल भ्रष्टाचार मिटाएं”

ईमानदारी का दीप जलाकर भ्रष्टाचार तिमिर मिटाएं
जैसे भगाये अंग्रेजों को, अब बस जल्दी इसे भगाएं
हम तुम ये वो इसका उसका इन सबको हम छोड़ के आएँ
सच्चे मन से **सत्यनिष्ठा** की अपने मन में अलख जगाएं

नये दौर में नये सिरे से नवभारत निर्माण कराएं

आओ भारत नया बनाएं—सबमिल भ्रष्टाचार मिटाएं 1

जैसा कर्म करे यहाँ कोई वैसा ही तो फल भी मिलता है
काँटे बिछते हैं राहों में या फिर फूल ही फूल खिलता है
ईमानदारी के सूई धागे से जीवन चादर जो सिलता है
भ्रष्टाचार के तूफानों में भी वो रत्ती भर नहीं हिलता है

जीवन के हर कर्मक्षेत्र में सुचितापूर्ण शैली अपनाएं

आओ भारत नया बनाएं—सबमिल भ्रष्टाचार मिटाएं 2

क्या लेकर आये थे सोचो और क्या लेकर संग है जाना
क्या जिसके तुम संग आये थे जीवन भर है साथ निभाना
फिर किसके खातिर बेईमानी पाप का भरते हो खजाना
सुख तो सारे बांट ही लेंगे दुःख लेकर तुम खुद पछताना

खुद ना भ्रष्टाचार करें जो करे उसे भी सजा दिलाएं

आओ भारत नया बनाएं—सबमिल भ्रष्टाचार मिटाएं 3

जाति धर्म और ऊँच नीच में क्यों पड़ते हो बोलो प्यारे
जबकि एक भगवान के ही संतान मनुज हैं ये सारे
तभी बढ़ेगा देश ये अपना जो विकसित सब प्रांत हमारे
आओ एकजुट हो जाएँ और नवभारत को फिर से सँवारे

लड़ना है तो भ्रष्टाचार से लड़ें आपस में नहीं लड़ें—लड़ाएं

आओ भारत नया बनाएं—सबमिल भ्रष्टाचार मिटाएं 4

भ्रष्टाचारी भले सफल हो सबकुछ हासिल है कर पाता
मगर जो खुलता पोल तो पल भर में ही सारा है छिन जाता
धूम-धाम से बड़ी शान से पल दो पल की खुशी मनाता
पकड़ाने पर खुद तो जाता पुरखों की भी इज्जत गंवाता

चैन सुकुन और खुशहाली से ईमानदारी की रोटी खाएं

आओ भारत नया बनाएं—सबमिल भ्रष्टाचार मिटाएं 5

दुनिया की है रीत, प्रीत से काम नहीं निकलती सारी
जबतक धनुष ना राम उठाये सिंधु कहाँ हटा पिछाड़ी
सबको ही मिलकर लड़ना होगा काम भी तो है ये हमारी
जब तक दवा सुई नहीं चलता तो ठीक होती नहीं बीमारी

बड़े काम की है ये सतर्कता भ्रष्टाचार दिखे तो आजमाएं

आओ भारत नया बनाएं—सबमिल भ्रष्टाचार मिटाएं 6

जैसे सारे दिवस मनाते और गौरव—गाथा को करते याद
भ्रष्टाचार मुक्त देश बने ये “देव” से अपनी है फरियाद
यूँही अगर जागरूक हुए और होता रहे सतर्कता संवाद
निश्चय ही होगा एक दिन देश भ्रष्टाचार मुक्त आबाद

मना रहे हैं कई दिवस अब भ्रष्टाचार मुक्त दिवस मनाएं

आओ भारत नया बनाएं—सबमिल भ्रष्टाचार मिटाएं 7

हम सबको है संग में मिलकर उच्च शिखर पर चढ़ना
ईमानदारी की रेल पकड़ कर आगे ही आगे बढ़ना
पूरा होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण का सपना
सांस टूटे पर आस ना छूटे अब है तो ये प्रण अपना

कर प्रतिज्ञा ले शपथ “देव” के सम्मुख कसम ये खाएं

आओ भारत नया बनाएं—सबमिल भ्रष्टाचार मिटाएं 8

✍ महादेव कुमार मंडल

मुख्य सतर्कता निरीक्षक (भण्डार)

रहें सतर्क! सब रहें सतर्क!!

कभी कहीं भी जो "रेल" में जाएं
इतनी सावधानी तो अपनायें
अनजाने का दिया पिये ना खाएं
अनधिकृत से ना टिकट कटायें
स्वीकृत भार सामान संग लाएं
औरों संग खुद भी आराम पाएं
सीट के नीचे चेन में लॉक लगाएं
अपने सामान को सुरक्षित बनायें
इन सब साधन को अपनाएँ
कहीं हो ना जाये बेड़ा गर्क
हाँ, रहें सतर्क! सब रहें सतर्क !!



बिना टिकट से गिरती है शान
इज्जत जाती और घटती मान
सार्वजनिक जगह है बन्द धूम्रपान
जुर्माना और सजा का भी है प्रावधान
जितना बिल करें उतना भुगतान
ज्यादा ना ले कोई रखिये ध्यान
ट्रेन में ना ले जाएं ज्वलनशील सामान
कभी ना लटकें धड़ खिड़की पायदान
समपार फाटक पार करें हो सावधान
लापरवाही ले सकती है जान
गर घायल हुए तो भी समझो
जैसे जीवन तो हुआ ही नर्क
हाँ, रहें सतर्क ! सब रहें सतर्क !!

यूँ तो अब है इंटरनेट का जमाना
सबको है आता व्हाट्सएप्प चलाना
ट्विटर फेसबुक से सबको बताना
टोलफ्री नं० पर शिकायत दर्ज कराना
या लिख कर डाक/ईमेल से भिजवाना
इन सब उपायों से भी पड़ता बड़ा फर्क
हाँ, रहें सतर्क ! सब रहें सतर्क !!

✍ महादेव कुमार मंडल
मुख्य सतर्कता निरीक्षक (भण्डार)